"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी 2014— पौष 17, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कॉलोनी, शान्ति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 07 जनवरी, 2014

क्रमांक–53/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 62 सहपठित धारा 181(2) में प्रदत्त शक्ति तथा इसकी ओर से शक्य अन्य समस्त शक्तियों के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012।

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(i) ये विनियम "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012" कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम, अधिनियम की धारा–62 के अधीन वित्तीय वर्ष 2013–2014 से वित्तीय वर्ष 2015–2016 तक दर के निर्धारण हेतु प्रयोज्य होंगे, और तब तक प्रभावी बने रहेंगे, जब तक इन विनियमों के स्थान पर नए विनियम नहीं बन जाते ।

2. प्रयोज्यता का विस्तार और क्षेत्र :

2.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित, निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होंगेः–

क. राज्य पारेषण उपक्रम

ख. केन्द्रीय आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले उत्पादन केन्द्रों को और राज्य में अवस्थित ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद केन्द्रों जिनके टैरिफ का निर्धारण सुसंगत विनियमों और आदेशों के अन्तर्गत आयोग द्वारा किया जाता है को छोड़कर समस्त ऐसे उत्पादन केन्द्र जो दीर्घावधि अनुबंध के अंतर्गत राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत प्रदाय करते हैं ;

ग. समस्त राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों ; और

घ. समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों।

2.2 इन विनियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 और उसमें हुए संशोधनों से शासित होगी ।

3. परिभाषाएं :

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आशायित न हो, –

3.1 **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र.–36 सन् 2003) अथवा उसमें हुए कोई संशोधन अथवा उसका परवर्ती कोई अधिनियम ;

3.2 **''अतिरिक्त पूंजीकरण''** से अभिप्रेत है, परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के पश्चात् विनियम 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए आयोग द्वारा परिपक्व जांच के उपरांत अनुमत किया गया कोई पूंजीगत व्यय या संभावित होने वाला व्यय ;

3.3 **''सकल राजस्व आवश्यकता''** अथवा ARR से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्त और/अथवा विनियमित व्यवसाय जिन्हें इन विनियमों के अनुसरण में अनुमति प्रदान की जाती है से संबंधित लागतें, जिन्हें आयोग द्वारा अवधारित शुल्कों और प्रभारों से वसूल किया जाना है ;

3.4 **''आवंटन मैट्रिक्स**'', इन विनियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट किए गए तत्वों से मिलकर बनेगी ;

3.5 **''आवेदन''** से अभिप्रेत है, कोई अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई उत्पादन कंपनी, जिसने इन विनियमों और अधिनियम के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन किया है अथवा सत्यांकन (ट्रू अप) हेतु आवेदन किया है ;

3.6 **''सहायक ऊर्जा खपत''** या AUX किसी उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, किसी अवधि में, उत्पादन केन्द्र के अंदर सहायक उपकरण द्वारा की गई खपत और ट्रान्सफार्मर में ऊर्जा ह्रास की मात्रा, जिसे उस उत्पादन केन्द्र की सभी इकाइयों के उत्पादन टर्मिनलों पर उत्पादित कुल ऊर्जा (विद्युत) के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है ;

3.7 **''हितग्राही''**

(क) किसी 'उत्पादन केन्द्र' के संबंध में अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो ऐसे केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत को वार्षिक स्थिर प्रभारों और/अथवा विद्युत प्रभारों के भुगतान पर क्रय कर रहा है ; और

(ख) **'पारेषण प्रणाली'** के संबंध में अभिप्रेत है, समय–समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) निनियम, 2011 में यथापरिभाषित दीर्घावधि और/अथवा मध्यम अवधि मुक्त उपयोग उपभोक्ता (खुली पहुंच उपभोक्ता) और उसमें ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी (गण) भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने राज्य पारेषण उपक्रम (एसटीयू)/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सेवा–समझौते किए हुए हैं ।

3.8 ''**पूंजीगत लागत**'' से अभिप्रेत है, विनियम–18 में यथापरिभाषित पूंजीगत लागत ;

3.9 **''पूंजी निवेश योजना''** इन विनियमों के विनियम–7 में विनिर्दिष्ट तत्वों से मिलकर बनेगी ;

3.10 **''विधि में परिवर्तन''** से अभिप्रेत है, निम्नांकित में से किसी का भी घटित होना :

(i) ऐसा अधिनियमन, जिससे किसी विधि में प्रभावशीलता, अंगीकरण, घोषणा, संशोधन, रूपान्तरण अथवा निरसन कारित हो ; या

(ii) सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या भारत सरकार का तंत्र जो ऐसी व्याख्या हेतु कानूनी रूप से अंतिम अधिकार प्राप्त हो, कानून के किसी व्याख्या में परिवर्तन करे।

(iii) किसी सक्षम संविधि प्राधिकारी द्वारा कोई राय, अनुमति या परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त अनुज्ञप्ति में परिवर्तन।

3.11 **''आयोग''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा–82 की उपधारा (1) में संदर्भित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग;

3.12 **''नियंत्रण अवधि''** से अभिप्रेत है, 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2016 तक आयोग द्वारा निर्धारित बहुवर्षीय अवधि;

3.13 **''विभेदक दिनांक (कट ऑफ दिनांक)''** से अभिप्रेत है, परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के वर्ष दो वर्ष उपरांत समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च, और जहां परियोजना को किसी वर्ष की अंतिम तिमाही में संचालित हुआ घोषित किया गया है, वहां ऐसी विभेदक दिनांक वाणिज्यिक संचालन के वर्ष से तीन वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च होगी;

3.14 **''वाणिज्यिक संचालन की दिनांक''** या सी.ओ.डी. से अभिप्रेत है –

3.14.1 तापीय उत्पादन केन्द्र की किसी इकाई या ब्लॉक (समूह) के संबंध में, हितग्राहियों को सूचित करके उत्पादन इकाई के सफल परीक्षण संचालन के द्वारा अधिकतम निरंतर क्षमता या स्थापित क्षमता को प्रदर्शित कर उत्पादक द्वारा घोषित दिनांक को; 00.00 बजे से; जो भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता/छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड संहिता और समय–समय पर यथासंशोधित में अनुसूचित हो का पूर्णतः क्रियान्वयन किया जाए, और समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र के संबंध में उत्पादन केन्द्र की अंतिम इकाई ब्लॉक की संचालन दिनांक माना जाए।

3.14.2 किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई के संबंध में, हितग्राहियों को विहित सूचना देने के उपरांत उत्पादन कम्पनी द्वारा घोषित वह दिनांक जिसके 00:00 बजे से, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसरण में अनुसूचीकरण प्रक्रिया के अनुरूप पूर्णतः क्रियान्वयन हो जाता है, और समग्र रूप से उस उत्पादन केन्द्र के संबंध में, हितग्राहियों को विहित सूचना देने के उपरांत एक सफल परीक्षण संचालन के माध्यम से उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता के अनुसार बढ़त क्षमता को प्रदर्शित करने की घोषित दिनांक।

टीपः

1. ऐसे प्रकरण में जहॉ बांध या जलाशय सहित जल विद्युत उत्पादन केन्द्र, जलाशय या तालाब के अपर्याप्त जल स्तर की वजह से प्रतिष्ठापित क्षमता से संगत बढ़त क्षमता प्रदिर्शित नहीं कर पाता है, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र की अंतिम इकाई के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक को समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक संचालन दिनांक समझा जायेगा, बशर्ते ऐसे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु स्थापित क्षमता के समतुल्य बढ़त क्षमता प्रदर्शित करना, तब अनिवार्य होगा जब और जहॉ ऐसे जलाशय या तालाब का जल स्तर प्राप्त हो जाता है।

2. शुद्ध रूप से नदी प्रवाह वाले जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में यदि ऐसी इकाई या ऐसा विद्युत उत्पादन केन्द्र वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत दुर्बल प्रवाह

अवधि, जब ऐसे प्रदर्शन हेतु जल पर्याप्त न हो, घोषित किया जाता है तब ऐसे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा इकाई को स्थापित क्षमता के समतुल्य बढ़त क्षमता प्रदर्शित करना तब अनिवार्य होगा जब और जहॉ पर्याप्त जलागम उपलब्ध हो जाये।

3.14.3 पारेषण प्रणाली के संबंध में राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित दिनांक को 00.00 बजे से, जब सफल चार्जिंग और परीक्षण संचालन के पश्चात् पारेषण प्रणाली नियमित सेवा में आ जाती है;

परन्तु, ऐसी दिनांक किसी कैलेन्डर माह की पहली तिथि होगी और इसकी उपलब्धता उसी दिनांक से गिनी जायेगी;

परन्तु, यह और भी कि ऐसे प्रकरण में जहॉ पारेषण प्रणाली के तत्व (ऐलीमेंट) नियमित सेवा के लिए तैयार हों, किन्तु वे ऐसे कारणों से सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ हों जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इसके प्रदायकर्ताओं अथवा संविदाकर्ताओं की वजह से न हो, तो आयोग ऐसे तत्वों के नियमित सेवा में आने से पूर्व की दिनांक को वाणिज्यिक संचालन का दिनांक अनुमोदित कर सकेगा।

3.14.4 वितरण प्रणाली के संबंध में वाणिज्यिक संचालन का दिनांक या सी.ओ.डी से अभिप्रेत है, विद्युत लाईनों या उपकेन्द्रों को उसके घोषित वोल्टेज स्तर तक आवेशित करने का दिनांक। उन मामलों में जहाँ लाईन(नों)/उपकेन्द्र(द्रों) को आवेशण हेतु तैयार घोषित किया गया हो परन्तु अनुज्ञप्तिधारी ऐसे कारणों से, जो उस पर आरोपणीय न हो, आवेशण करने योग्य न हो, वहां ऐसी लाईन(नों)/उपकेन्द्र(ओं) आवेशण योग्य घोषित किये जाने से सात दिनों के पश्चात् की तिथि को माना जावेगा;

3.15 **''दिवस''** से अभिप्रेत है 00.00 बजे से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि;

3.16 **''घोषित क्षमता'' अथवा ''डी.सी.''** विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में घोषित क्षमता से अभिप्रेत है जल तथा ईंधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिन के किसी अवधि या सम्पूर्ण दिन के लिए उस उत्पादन केन्द्र द्वारा मेगावॉट में घोषित एक्स–बस विद्युत प्रदान करने की क्षमता जैसा कि अधिनियम में प्रावधानित हो;

3.17 ''**रूपांकन ऊर्जा (डिजाईन एनर्जी)**'' जल विद्युत केन्द्र के प्रकरण में, से अभिप्रेत है, ऐसी ऊर्जा की मात्रा जो जल उत्पादन केन्द्र की 95 प्रतिशत उत्पादन क्षमता में से अवधारित वर्ष में 90 प्रतिशत उत्पादन कर सकती है;

3.18 **''ई.आर.सी.''** से अभिप्रेत है, टैरिफ और प्रभारों से सम्भावित राजस्व जिससे किसी अनुज्ञप्तिधारी को वसूल करने की अनुमति दी जाती है;

3.19 ''**वर्तमान उत्पादन केन्द्र**'' से अभिप्रेत है, 01.04.2013 से पहले की किसी दिनांक से वाणिज्यिक संचालन में घोषित कोई उत्पादन केन्द्र;

3.20 ''**वर्तमान परियोजना**'' से अभिप्रेत है, 01.04.2013 से पहले की किसी दिनांक से वाणिज्यिक संचालन में घोषित कोई परियोजना;

3.21 ''**सकल कैलोरिफिक मूल्य'' या ''जी.सी.बी.**'' ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में इससे अभिप्रेत है, एक किलोग्राम के ठोस ईंधन अथवा यथास्थिति एक लीटर द्रव ईंधन अथवा एक मानक घनमीटर गैसीय ईंधन की संपूर्ण ज्वलंनशीलता द्वारा किलो कैलोरी में व्यक्त, उत्पादित उष्मा ;

3.22 ''**केन्द्र की सकल उष्मा दर या जी.एच.आर**'' से अभिप्रेत है, किसी तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र के जनरेटर टर्मिनल पर एक किलोवॉट घण्टे (KWH) विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने हेतु, किलो कैलोरी में व्यक्त आवश्यक तापीय ऊर्जा;

3.23 **''अनिश्चित पावर''** से अभिप्रेत है, उत्पादन केन्द्र के किसी एक ईकाई अथवा उत्पादन केन्द्र के ब्लॉक द्वारा अपने वाणिज्यिक संचालन के पूर्व ग्रिड में डाली गई विद्युत;

3.24 ''**स्थापित क्षमता अथवा आई.सी.''** से अभिप्रेत है, उत्पादन केन्द्र की सभी ईकाईयों की नाम पट्टिका पर दर्शित क्षमताओं का योग अथवा उत्पादन केन्द्र की क्षमता (उत्पादन टर्मिनल पर प्रदर्शित), जैसी कि आयोग द्वारा समय समय पर अनुमोदित की जाये;

3.25 ताप विद्युत केन्द्र के ईकाई के संबंध में **''अधिकतम् लगातार रीडिंग''** या एम.सी.आर. से अभिप्रेत है, जनरेटर सिरों पर जल अथवा वाष्प की प्रविश्टि से (यदि प्रयोज्य हो) वह अधिकतम् लगातार उत्पादन, जो मानकीकृत मापदंण्ड़ों एवं 50 हर्ट ग्रिड आवर्ती पर शोधित और विनिर्दिष्ट स्थानीय स्थिति पर उत्पादक द्वारा प्रत्याभूत हो;

3.26 **''एन.ए.पी.ए.एफ. या नॉर्मेटिव वार्षिक संयंत्रों उपलब्धता कारक**'' किसी उत्पादन केन्द्र के संबंध में, इससे अभिप्रेत है, विनियम 39 में ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु और विनियम 41 में जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु विनिर्दिष्ट, उपलब्धता कारक;

3.27 **''संचालन और संधारण व्यय या (ओ.& एम. व्यय)**'' से अभिप्रेत है, परियोजना, अथवा उसके किसी भाग के संचालन और संधारण पर होने वाला व्यय और उसमें सम्मलित है मानव शक्ति, सुधारों, अतिरिक्त वस्तुओं (स्पेयर), उपभोग्य, बीमा और ओवरहेड पर किये जाने वाला व्यय;

3.28 **''मूल परियोजना लागत**'' से अभिप्रेत है, उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम या वितरण अनुज्ञप्तिधारीजैसी भी स्थिति हो

द्वारा परियोजना के मूल स्वरूप के अंतर्गत आयोग द्वारा यथा अनुमत, कटऑफ दिनांक तक किया गया पूंजीगत व्यय;

3.29 **''संयंत्र उपलब्धता कारक''** किसी उत्पादन केन्द्र के संबंध में किसी अवधि के लिए अभिप्रेत है, प्रतिदिन घोषित क्षमताओं के उस अवधि विशेष के सभी दिनों का औसत, जो उस उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावॉट में) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया हो, जिससे मानकीकृत सहायक विद्युत उपभोग घटा दिया जाये;

3.30 **''परियोजना''** से अभिप्रेत है, यथास्थिति कोई उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली, और जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, इसमें सम्मलित है उत्पादन सुविधाओं के समस्त घटक, जैसे बांध, जलागम, संचालन प्रणाली, विद्युत उत्पादन केन्द्र और योजना की उत्पादन ईकाईयां, जो विद्युत उत्पादन हेतु प्रर्युक्त की गई हों;

3.31 **''रेटेड वोल्टेज''** से अभिप्रेत है, उत्पादनकर्ता का वह रूपांकित वोल्टेज, जिस पर पारेषण प्रणाली संचालित करने हेतु रूपांकित की गई है और उसमें ऐसा निम्नतर वोल्टेज सम्मिलित है, जिस पर कोई पारेषण लाईन चार्ज की जाती है अथवा हितग्राही के परामर्श से कुछ समय के लिए चार्ज की जाती है;

3.32 **''विनियमित व्यापार''** से अभिप्रेत है, ऐसे कृत्य और क्रियाकलाप जो आयोग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या अधिनियम के अधीन किसी माने हुए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा और अधिनियम के प्रावधानों एवं आयोग द्वारा अधिसूचित, विनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा किए जाना अपेक्षित हों;

3.33 **''फुटकर आपूर्ति का व्यापार''** से अभिप्रेत है, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने प्रदाय क्षेत्र के भीतर, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप समस्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय का व्यापार;

3.34 **''फुटकर आपूर्ति टैरिफ''** से अभिप्रेत है, वह दर जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं पर प्रभारित की जाती है और जिसमें व्हीलिंग और फुटकर आपूर्ति की सेवाओं के लिए प्रभार भी सम्मिलित है;

3.35 **''रन ऑफ रिवर विद्युत केन्द्र''** से अभिप्रेत है, ऐसा जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसमें अप स्ट्रीम पोण्डेज (प्रवाहोपरि जलाशय) नहीं हो;

3.36 **''पोण्डेज सहित रन ऑफ रिवर विद्युत उत्पादन केन्द्र''** से अभिप्रेत है, विद्युत की मांग के दैनंदिन उतार–चढ़ाव से निपटने के लिए पर्याप्त पोण्डेज (जल संग्रह) वाला जल विद्युत उत्पादन केन्द्र;

3.37 **''अधिसूचित ऊर्जा''** से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एक दिवस की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा ग्रिड में डाली जाने वाली अधिसूचित ऊर्जा की मात्रा;

3.38 **''अधिसूचित उत्पादन''** से अभिप्रेत है, किसी समय अथवा किसी अवधि विशेष या समयखण्ड में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई मेगावाट अथवा MWh एक्सबस में व्यक्त उत्पादन की अनुसूची;

3.39 **''राज्य भार प्रेषण केन्द्र''** से अभिप्रेत है, अधिनियम में यथापरिभाषित;

3.40 **''भण्डारण वाले विद्युत केन्द्र''** से अभिप्रेत है, वृहद जल भण्डारण क्षमता सहित जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जो मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन में फेरबदल करने में सक्षम हो;

3.41 **''पारेषण सेवा अनुबंध''** से अभिप्रेत है, वह करार, संविदा, समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग), या कोई ऐसा दस्तावेज जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम और पारेषण प्रणाली के संचालन चरण हेतु हितग्राही के मध्य निष्पादित किया गया हो;

3.42 **''पारेषण तंत्र''** से अभिप्रेत है, संबंधित उपकेन्द्रों सहित या रहित पारेषण लाईन अथवा लाईनों का समूह और उसमें ऐसे संबद्ध यंत्र सम्मिलित है, जिनका विद्युत पारेषण के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता हो;

3.43 **''इकाई''** ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, स्टीम जनरेटर, टरबाईन जनरेटर और सहायक उपस्कर तथा किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, टरबाईन जनरेटर और उसके सहायक उपस्कर;

3.44 **''उपयोगी जीवन''** किसी उत्पादन केन्द्र की इकाई, पारेषण एवं वितरण प्रणाली के संबंध में सीओडी के पश्चात की निम्नानुसार अवधि –

(क)	कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र	25 वर्ष
(ख)	ए सी और डी सी उप केन्द्र	25 वर्ष
(ग)	जल विद्युत उत्पादन केन्द्र	35 वर्ष
(घ)	पारेषण और वितरण लाईनें	35 वर्ष

3.45 **''व्हीलिंग''** से अभिप्रेत है, ऐसा संचालन जहां यथास्थिति किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/ राज्य पारेषण उपक्रम अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली और संबद्ध सुविधाएं, अधिनियम की धारा 62 के अधीन निर्धारित किए जाने

वाले प्रभारों के भुगतान का विद्युत के संवहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली जाती है;

3.46 **''व्हीलिंग व्यापार''** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के संवहन हेतु वितरण तंत्र के संचालन और संधारण का व्यापार;

3.47 **''वर्ष''** से अभिप्रेत है, 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष ,

''चालू वर्ष '' से अभिप्रेत है, वह वर्ष जिसके दौरान वार्षिक लेखों का विवरण या टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है,

''आगामी वर्ष '' से अभिप्रेत है, चालू वर्ष के तुरन्त पश्चात् आने वाला वर्ष; और

''पूर्व वर्ष '' से अभिप्रेत है, वह वर्ष जो चालू वर्ष के ठीक पहले रहा हो ।

इन विनियमों में प्रयुक्त और यहां अपरिभाषित तथापि अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम और अन्य आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों में दिया गया है, परन्तु जहां किसी शब्द या वाक्यांश का उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संदर्भ में किया गया हो, वहां उस विशिष्ट संदर्भ में प्रयोज्य अर्थ अभिभावी होगा और ऊपर दी गई जेनरिक (मूल) परिभाषा प्रयोज्य न हो सकेगी ।

———

अध्याय–2
सामान्य सिद्धान्त

4. **बहुवर्षीय टैरिफ की रूपरेखा:**

4.1 आयोग, इन विनियमों को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनियम की धारा–61, और 62 में निहित सिद्धांतों, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से मार्गदर्शित रहा है ;

4.2 परन्तु यह कि आयोग या तो स्वतः आधार पर अथवा किसी उत्पादन कम्पनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसे प्रस्तुत आवेदन पर वैसी अवधि के लिए जैसी कि ऐसी छूट प्रदान करने के आदेश में निहित हो, बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा के अधीन टैरिफ के निर्धारण में छूट दे सकेगा और ऐसे प्रकरण में टैरिफ का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण की शर्तें और दशाएं) विनियम, 2006 और उसमें हुए संशोधनों के अनुरूप किया जाएगा। ऐसी बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा उत्पादन कम्पनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वितरण व्हीलिंग व्यापार और फुटकर

प्रदाय व्यापार हेतु टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व और सकल वार्षिक राजस्व आव यकता के निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित होगी :–

(क) नियंत्रण अवधि के प्रारंभ से पूर्व नियंत्रण अवधि से अन्यून किसी अवधि के लिए पूंजीगत निवेशयोजना का अनुमोदन;

(ख) वास्तविकीकरण की प्रणाली

(ग) नियंत्रण से परे मदों के संबंध में पास थ्रू (Pass Through) (दरगुजर करने) की प्रणाली

(घ) नियंत्रण योग्य विषयों के संबंध में लाभों और हानियों को अंतरित करने की प्रणाली

(ङ) नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ का निर्धारण

5. बहुवर्षीय टैरिफ के अनुरूप प्रस्तुतिकरण

5.1 बहुवर्षीय टैरिफ के अंतर्गत उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुति (फाइलिंग) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयावधि में किया जाएगा और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु सिद्धांतों के अनुसरण में, वैसे प्रारूप में किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

5.2 उत्पादन कम्पनी और राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम 5.7 (क) (i) के अनुसरण में बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन 30 नवंबर 2012 तक दाखिल किये जायेंगे। परवर्ती वर्ष (Ensuing Year) के लिए विनियम 5.7(ख)(i) के अनुसरण में वार्षिक याचिका चालू वर्ष की 30 नवंबर तक दाखिल की जायेगी।

5.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ का आवेदन विनियम 5.7 (क) (ii) के अनुसार 30 नवम्बर, 2012 तक दाखिल किया जाएगा । परवर्ती वर्ष के लिए वार्षिक याचिका, विनियम 5.7 (ख) (ii) के अनुसार चालू वर्ष के 30 नवम्बर तक दाखिल की जाएगी ।

5.4 आवेदक द्वारा आयोग के पूर्व आदेशों में जारी किए गए निर्देशों के पालन के संबंध में एक विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा ।

5.5 किसी आवेदक द्वारा समस्त प्रस्तुति (फाईलिंग) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004, इसके संशोधनों सहित प्रावधानों और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप भी होंगे । बहुवर्षीय टैरिफ का प्रस्तुति ऐसे स्वरूप और ऐसी पद्धति से किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए।

5.6 टैरिफ के निर्धारण अथवा पूर्व में निर्धारित टैरिफ को जारी रखने हेतु, प्रत्येक आवेदन के साथ तत्समय प्रचलित, समय–समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क और प्रभार) विनियम में वर्णित शुल्क लगाया जाएगा। आयोग आवेदन पर स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा और आवेदक ऐसे स्पष्टीकरण एवं अतिरिक्त जानकारी को, आयोग द्वारा दी गई तिथि के भीतर उपलब्ध कराएगा ।

5.7 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुति निम्नानुसार होगी :–

(क) बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में निम्नांकित सम्मिलित हैं :–

(i) उत्पादन और पारेषण व्यापार के लिए –

1. वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए वास्तविकीकरण;(true-up)
2. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता;
3. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए शुल्क के निर्धारण हेतु आवेदन;

(ii) वितरण, व्हीलिंग और फुटकर आपूर्ति व्यापार के लिए –

1. वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए वास्तविकीकरण
2. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता;
3. वर्तमान शुल्कों और प्रभारों से राजस्व और नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु संभावित राजस्व रिक्तता (प्रोजेक्टेड रेवेन्यू गेप);
4. नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु फुटकर टैरिफ प्रस्ताव का आवेदन।

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के पश्चात् और उससे आगे वार्षिक याचिका में निम्नांकित सम्मिलित किए जाएंगे :–

(i) उत्पादन और पारेषण व्यापार – पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) हेतु वास्तविकीकरण

राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी लघु अवधि मुक्त उपयोग ग्राहकों (खुली पहुंच उपभोक्ताओं) के लिए पारेषण प्रभारों के निर्धारण का प्रस्ताव वास्तविकीकरण याचिका के साथ प्रस्तुत करेंगे।

(ii) वितरण व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए –

1. पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) हेतु वास्तविकीकरण

2. आगामी वर्ष के लिए विस्तृत विवरण सहित, पुनर्रीक्षित विद्युत क्रय मात्रा/लागत (यदि कोई हो) ।

3. वर्तमान शुल्कों और प्रभारों से राजस्व और आगामी वर्ष के लिए संभावित राजस्व ।

4. आगामी वर्ष हेतु राजस्व आवश्यकता के पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन, खुदरा शुल्क प्रस्ताव सहित ।

(ग) उत्पादन कंपनी अपनी सभी प्रस्तुतियां उत्पादन केन्द्रवार करेंगी, सिवाय ऐसे वर्षों के वास्तविकीकरण हेतु जिसके लिए टैरिफ आदेश में ही कंपनी हेतु एक भाग औसत उत्पादन टैरिफ दिया गया है ।

(घ) किसी अवधि के लिए वास्तविकीकरण उस विनियम के प्रावधानों से शासित होगा जिसके अधीन उस वर्ष का शुल्क निर्धारित किया गया था ।

(ङ) आयोग आवेदक की पूर्व वर्षों के लिए प्रस्तुत वास्तविकीकरण याचिका पर भी विचार करेगा, जहां ऐसा वास्तविकीकरण प्राविधिक लेखों के आधार पर किया गया है ।

6. **याचिका का निराकरणः**

6.1 आयोग, आवेदकों द्वारा बहुवर्षीय शुल्क की प्रस्तुतियों पर इन विनियमों और समय–समय पर यथासंशोधित कार्य संचालन विनियम, 2009 के अनुरूप कार्यवाही करेगा।

6.2 टैरिफ आवेदन की प्रतिलिपियां आयोग के कार्यालय में और आवेदक के ऐसे कार्यालय में, जैसा कि आयोग निर्देशित करे, विक्रय हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दस्तावेज आवेदक की वेबसाईट पर भी डाउनलोड किए जा सकने वाले प्रारूप में रखे जाएंगे, ताकि वे सभी भागीदारों की सुगम पहुंच में रहे ।

6.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित ए.आर.आर. और ई.आर.सी. , विद्यमान एवं प्रस्तावित टैरिफ के आधार पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जावेगी और प्रस्तावों पर निर्णय देने के पहले आयोग ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, सुन सकेगा।

6.4 आवेदक आयोग द्वारा प्रकाशन के लिए अनुमोदित रूप में प्रस्तावों का सार, आवेदन की प्रमुख ऐसी विशेषताओं सहित जो विभिन्न उपभोक्ताओं के हित में हों (पर प्रकाश डालते हुए) न्यूनतम 3 ऐसे समाचार पत्रों, जिसमें से 2 हिन्दी और 1 अंग्रेजी का हो, जिनका राज्य में तथा आवेदक के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, प्रकाशित करेगा। भागीदारों से लिखित सुझाव/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 21 दिवसों का समय प्रदान किया जाएगा ।

6.5 आवेदक द्वारा अनुमोदित शुल्कों सहित, आदेश का सारांश न्यूनतम 3 दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से 2 हिन्दी और 1 अंग्रेजी का हो, जिनका राज्य में तथा आपूर्ति के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, प्रकाशित करेगा। ऐसा यह शुल्क उसी दिनांक से प्रभावशील होगा, जैसा आयोग द्वारा सुसंगत टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

6.6 आयोग आदेश करने के 7 दिवस के भीतर उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि सम्यक राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित उत्पादक कंपनी/ अनुज्ञप्तिधारी को प्रेषित करेगा ।

7. पूंजी निवेश योजना –

7.1 उत्पादन कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन के लिए 31 अक्टूबर, 2012 तक एक पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेंगे। ऐसी पूंजी निवेश योजना में नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विवरण सहित सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि को समाहित किया जाएगा ।

7.2 पूँजी निवेश की योजना, नवीन उत्पादन परियोजनाओं या पारेषण/वितरण स्कीमों (लाइनों बे(bay) उपकेन्द्रों आदि के लिए) की अतिरिक्त क्षमता बनाने/जीवनावधि पूर्ण हो जाने पर मौजूदा क्षमताओं का पुनर्नवीनीकरण अथवा वृद्धि, अथवा विधि में परिवर्तन के कारण कार्य की आवश्यकता होने, या मूल स्वरूप में सम्मिलित कार्य निष्पादन में देरी होने या सक्षमता सुधार या ऐसा कार्य जिसका मूल्य रूपये एक करोड़ से अधिक है और जो प्रणाली के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक हो, के बारे में हो सकेगी ।

(क) पूंजी निवेश योजना में, वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को नियंत्रण अवधि में विस्तारित करते हुए, और नवीन परियोजनाओं (क्षेत्राधिकार सहित) जो नियंत्रण अवधि में प्रारंभ होगी, किन्तु इस दौरान अथवा नियंत्रण अवधि से आगे पूर्ण होगी, पृथकतः दर्शाए जाएंगे। पूंजी निवेश योजना में स्कीम का विवरण, कार्य का क्षेत्राधिकार, पूंजीकरण अनुसूची, पूंजी संरचना और लागत लाभ विश्लेषण (जहां प्रयोज्य हो) का समावेश किया जाएगा ।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त

(i) उत्पादन कम्पनी नवीन परियोजनाओं के संबंध में विद्युत विक्रय अनुबंध प्रस्तुत करेगी। जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की स्कीमों तथा सक्षमता वृद्धि के आशय से बनाई गई स्कीमों में, लागत लाभ विश्लेषण और संभावित निष्पादन लक्ष्यों को सम्मिलित करना आवश्यक होगा;

(ii) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत निष्क्रमण योजना और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भविष्यगत भार पूर्वानुमान के संदर्भ में प्रणाली के सुदृढ़ीकरण योजना को प्रस्तुत किया जाएगा;

(iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्तृत विक्रय/मांग संबंधी पूर्वानुमान, भार पूर्वानुमान, विद्युत अधिप्राप्ति योजना (प्रोक्योरमेण्ट), प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रस्तावित उपाय, मीटरिंग योजना, उपभोक्ता सेवाओं और क्षति कम करने संबंधी योजना प्रस्तुत की जाएंगी ।

7.3 आयोग द्वारा पूंजी निवेश योजना की समीक्षा की जाएगी और सम्यक् जांच एवं समस्त भागीदारों को अपने दृष्टिकोण/ सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद तथा प्रस्तावित योजना पर सुनवाई करने एवं प्राप्त आपत्तियों/सुझावों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी अतिरिक्त जानकारी पर विचार करने के उपरांत उसे अनुमोदित किया जाएगा ।

7.4 टैरिफ आदेश जारी करने से पूर्व आयोग, पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन करेगा और टैरिफ आदेश में इस प्रकार के अनुमोदित पूंजी निवेश योजना के प्रभाव को विचार में लेगा ।

7.5 प्राथमिकताओं और तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा अनुमोदित पूंजी निवेश योजना में परिवर्तन हेतु आयोग से अनुरोध किया जा सकेगा ।

7.6 ऐसे प्रकरणों में, जहां जीवन अथवा सम्पत्ति के संकट को दूर करने के लिए तात्कालिक कार्यवाहियों की आवश्यकता हो, वहां तात्कालिकता प्रकृति की पूर्व सूचना के अधीन प्रस्तावित कार्य और लागत अनुमान के संबंध में यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा निचय (ब्रीफ) प्रस्तुत करके, आयोग के अनुमोदन हेतु विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करके कार्योपरान्त अनुमोदन लेने के अध्यधीन रहते हुए, तात्कालिक प्रकृति का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

7.7 प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक आवेदक अनुमोदित पूंजी निवेश योजना के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें समयबद्ध उपलब्धियां, विचलन, पुनर्रीक्षित अनुसूची और विचलनों के कारण दर्शाए जाएंगे ।

8. **कतिपय सचलों(वेरियेबल्स) के संबंध में विशिष्ट ट्रेजेक्टरी** :

आयोग द्वारा ऐसी मदों(आईटम्स) के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जो नियंत्रणीय हो। साथ–साथ विशिष्ट सचलों हेतु आयोग द्वारा ट्रेजेक्टरी निर्दिष्ट की जा सकती है जहां पुरस्कारों और गैर पुरस्कारों के माध्यम से आवेदक के कार्य निष्पादन को सुधारने की आवश्यकता हो ।

9. **टैरिफ का निर्धारण** :

9.1 इन विनियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी सभी समयों में, आयोग को यह प्राधिकार होगा कि या तो स्वप्रेरणा से अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर शर्तों और दशाओं का समावेश करते हुए किसी उत्पादन कंपनी अथवा राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ का निर्धारण करे।

9.2 उत्पादन केन्द्र के संबंध में टैरिफ का निर्धारण सम्पूर्ण उत्पादन केन्द्र अथवा किसी चरण या उत्पादन केन्द्र के खण्ड के लिए निर्धारित किया जा सकेगा, और पारेषण प्रणाली हेतु टैरिफ का निर्धारण सम्पूर्ण पारेषण प्रणाली अथवा पारेषण प्रणाली के किसी भाग हेतु किया जा सकेगा। सम्पूर्ण वितरण प्रणाली के लिए आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु फुटकर प्रदाय टैरिफ, व्हीलिंग चार्ज और विविध चार्ज भी निर्धारित किए जा सकेंगे ।

9.3 आयोग निम्नलिखित हेतु टैरिफ निर्धारित करेगा :

(क) इन विनियमों के अध्याय–4 के अनुसरण में, विद्युत का उत्पादन;

(ख) इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसरण में, विद्युत का पारेषण ;

(ग) इन विनियमों के अध्याय–6 के अनुसरण में, वितरण व्हीलिंग व्यापार; व्हीलिंग बिजनेस और

(घ) इन विनियमों के अध्याय–7 के अनुसरण में, फुटकर प्रदाय व्यापार (रीटेल सप्लाई बिजनेस) ।

10. **वास्तविकीकरण (True-up)**

10.1 जहां किसी उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के शुल्क और प्रभारों से सकल राजस्व आवश्यकता और अनुमानित राजस्व किसी बहुवर्षीय शुल्क संरचना के अंतर्गत आते हों, वहां यथास्थिति, ऐसी उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी उस नियंत्रण अवधि के दौरान इन विनियमों के अनुसरण में व्ययों और राजस्व के वास्तविकीकरण के अध्यधीन होंगे ।

10.2 उत्पादन कंपनी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर नियंत्रण अवधि के दौरान प्रतिवर्ष अपने उत्पादन केन्द्रों के पूर्व वर्ष/वर्षों का वास्तविकीकरण हेतु और परवर्ती वर्ष (आगामी वर्ष) में राजस्व के अंतर/आधिक्य के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगी। राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पूर्व वर्ष के वास्तविकीकरण और परवर्ती वर्ष (आगामी वर्ष) के राजस्व अंतर/आधिक्य के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पूर्व वर्ष

के वास्तविकीकरण और परवर्ती वर्ष (आगामी वर्ष) के राजस्व अंतर/आधिक्य के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा;

परन्तु यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को जानकारी ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा विहित किया जाए और साथ में अंकेक्षित लेखे, लेखा पुस्तकों का सारांश और ऐसे अन्य विवरण, जो आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता पूर्वानुमान तथा शुल्कों और प्रभारों से संभावित राजस्व में किसी वित्तीय निष्पादन के विचलन (डेविएशन) के कारणों और सीमा का मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक हो, प्रस्तुत किए जाएंगे।

10.3 ऐसे प्रकरण में जहां अंकक्षित लेखे उपलब्ध नहीं है, प्रावधिक वास्तविकीकरण (प्रोविजनल ट्रू अप) का कार्य अनअंकेक्षित/प्रावधिक लेखे के आधार पर किया जाएगा और जैसे ही अंकेक्षित लेखे उपलब्ध हो जाते हैं, अग्रेत्तर अंतिम वास्तविकीकरण के अधीन रहेगा ।

10.4 वास्तविकीकरण के क्षेत्र में उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य निष्पादन की तुलना सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं प्रभारों से संभावित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान से सम्मिलित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित का समावेश होगा :–

(क) आवेदक के पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) में अंकेक्षित कार्य निष्पादन की ऐसे पूर्व वित्तीय वर्षों हेतु अनुमोदित पूर्वानुमान से तुलना, जो अनियंत्रणीय कारकों प्रभाव की दरगुजर (पास थ्रू) को सम्मिलित करते हुए परिपक्वता जांच (प्रूडेंट चेक) के अधीन रहेगी;

(ख) समय–समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा;

(ग) अन्य सुसंगत विवरण, यदि कोई हों ।

10.5 वास्तविकीकरणों के शुद्ध वित्तीय प्रभावों को विनियम 12 और विनियम 13 के प्रावधानों के अनुसार अवमूल्यन, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे कारकों को विचार में लेते हुए, आयोग द्वारा गणना में लिया जाएगा। शुद्ध वित्तीय प्रभाव को वार्षिक आधार पर पारित किया जाएगा।

10.6 इस नियंत्रण अवधि के प्रारंभ होने से पूर्व, पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) का वास्तविकीकरण प्रयोज्य विनियमों/आदेशों (जिसके अधीन टैरिफ आदेश पारित किया गया है) से शासित होगा ।

11. नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारक :

11.1 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''अनियंत्रणीय कारकों'' में निम्नांकित कारक सम्मिलित हैं, तथापि उन तक सीमित नहीं है, जो आवेदक के नियंत्रण से परे थे, और जहां आवेदक द्वारा उनका सामना नहीं किया जा सकता था :–

(क) दैवीय घटनाएं;

(ख) विधि में परिवर्तन;

(ग) न्यायिक प्रोद्घोषणाएं;

(घ) ईंधन की कीमतें अर्थात कोयला, तेल और समस्त प्राथमिक–द्वितीयक ईंधन;

(ङ) मिश्रविक्रय (Sale mix) और विक्रय की मात्रा;

(च) विद्युत क्रय का मूल्य;

(छ) अवमूल्यन के कारण लागतें;

(ज) कर एवं वैधानिक लेवी ।

11.2 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'नियंत्रणीय कारक में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(क) किसी पूंजीगत व्यय परियोजना के क्रियान्वयन में लागत बढ़ जाने के कारण पूंजीकरण, जो कि ऐसी परियोजना के क्षेत्र में अनुमोदित परिवर्तन, वैधानिक लेवियों में परिवर्तन अथवा यथास्थिति उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे परिस्थितियों की वजह से नहीं हुआ है;

(ख) एस.एच.आर., सहायक खपत, आदि उत्पादन–निष्पादन मानदण्ड;

(ग) विनियम 69 के अनुसरण में परिगणित विद्युत हानियां;

(घ) पारेषण हानियां;

(ङ) संचालन और संधारण व्यय;

12 अनियंत्रणीय कारकों से हुई बढ़त या हानियों के पास थ्रू हेतु प्रणाली;

उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अवधि में अनियंत्रणीय मदों (टैरिफ आदेश के अनुसार) के कारण हुए सकल लाभों/हानियों को हितग्राहियों/उपभोक्ताओं को अगले वार्षिक राजस्व आवश्यकता अथवा इन विनियमों अधीन आयोग द्वारा पारित आदेश में विनिर्दिष्ट किए अनुसार पास थ्रू कर दिया जाएगा ।

13. नियंत्रणीय कारकों के कारण हुए लाभों या हानियों के बंटवारे हेतु प्रणाली :

टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में दक्षता से जुड़ी हुई नियंत्रणीय मदों (on account of) बेहतर/अवतर उपलब्धियों के कारण हुए सकल लाभों/हानियों के वितरण की प्रणाली यह होगी कि उनका एक भाग, हितग्राही/उपभोक्ता को अंतरित कर दिया जाएगा और दूसरा भाग (अथवा 50 प्रतिशत) आयोग द्वारा अपने आदेश में निश्चित अवधि तक यथास्थिति उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने पास रोक लिया जाएगा ।

14. टैरिफ आदेश :

आवेदक द्वारा किए गए दाखिलों के आधार पर, आयोग आवेदन को ऐसे रूपांतरणों और/अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी उचित और सम्यक् प्रतीत हों स्वीकृत कर सकेगा और सामान्यतया आवेदन दाखिल होने के 120 दिवस के भीतर भागीदारों और आम जनता से प्राप्त समस्त आपत्तियों/सुझावों/टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत आदेश पारित कर सकेगा । आदेशों में नियंत्रणीय मदों को लेकर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और आवेदक के नियंत्रित व्यापार (रेग्युलेटेड बिजनेस) की सकल राजस्व आवश्यताओं का अनुमोदन किया जाएगा ।

15. टैरिफ आदेश के प्रति अनुशक्ति (एडहेरेन्स टू टैरिफ आर्डर):

टैरिफ निर्धारण के समस्त आदेश उस समयावधि को इंगित करेगा जिसके लिए यह प्रचलित रहेगा और अगले टैरिफ आदेश जारी होने तक निरंतर बना रहेगा। सामान्यतया कोई टैरिफ या टैरिफ का कोई भाग किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार, सिवाय आयोग द्वारा अनुमोदित वी.सी.ए. सूत्र के आधार पर ईंधन लागत और विद्युत क्रय की वजह से हुए समायोजनों को छोड़कर, संशोधित नहीं किया जाएगा ।

16. **सहायकी (सब्सिडी) प्रणाली :**

16.1 यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की श्रेणी को सहायता करने का अभिनिश्चय करती है तो वह, अधिनियम की धारा–65 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान, सहायकी स्वीकृत करने से प्रभावित हुए अनुज्ञप्तिधारी की क्षतिपूर्ति के लिए उस रीति से करेगी जैसी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। परन्तु राज्य सरकार द्वारा सहायकी स्वीकृत करने का कोई निर्देश तब तक प्रभावशील नहीं होगा, जब तक अधिनियम की धारा 65 में निहित प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं कर दिया गया हो और आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ इस संबंध में उसके द्वारा जारी आदेश के प्रभावशील होने की दिनांक से प्रयोज्य होगा ।

16.2 अधिनियम के इस प्रावधान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोग राज्य सरकार की सहायकी संबंधी वचनबद्धता पर विचार किए बिना प्रारंभतः टैरिफ का

निर्धारण करेगा और ऐसा सहायकीकृत टैरिफ, उपभोक्ताओं की संबंधित श्रेणियों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता पर विचार करने के उपरांत निकाला जाएगा।

16.3 देय सहायकी को राज्य सरकार के बकाया ऋणों के विरूद्ध किसी प्रकार समायोजित नहीं किया जाएगा।

————————

अध्याय 3
वित्तीय सिद्धान्त

17 **ऋण (डेब्ट) समता (इक्विटी) अनुपात** :

17.1 दिनांक 01.04.2013 को और उसके बाद वाणिज्यिक संचालन में घोषित किसी परियोजना के लिए, यदि पूंजीगत लागत की 30 प्रतिशत से अधिक समता पूंजी वस्तुतः लगाई गई है, तो 30 प्रतिशत से अधिक की समता को नॉरमेटिव्ह ऋण माना जाएगा; परन्तु जहां वस्तुतः लगाई गई समता पूंजीगत लागत के समतुल्य अथवा 30 प्रतिशत से कम है, वहां वास्तविक समता को टैरिफ के निर्धारण हेतु विचार में लिया जाएगा; परन्तु यह और भी कि यदि निवेश की गई समता,(पूंजी /इक्विटी) विदेशी मुद्रा में है तो उसे प्रत्येक ऐसे निवेश की दिनांक को भारतीय रूपयों में अभिहित (डिजीनेट) किया जाएगा ।

उदाहरणः यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी परियोजना के वित्त पोषण हेतु समता पूंजी जारी करते समय और अपने फ्री रिजर्व में से निर्मित आंतरिक स्रोतों के निवेश करते समय उठाया गया प्रीमियम, यदि कोई हो तो उसे समता पर प्रतिफल (रिटर्न ऑन इक्विटी) की संगणना के उद्देश्य से चुकता पूंजी माना जायेगा, बशर्ते ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक स्रोतों का उपयोग (यथास्थिति) उत्पादन केन्द्र या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली हेतु पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु किया गया हो।

17.2 उत्पादन केन्द्र और अनुज्ञप्तिधारी के मामले में जहां दिनांक 01.04.2013 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन में घोषित किया गया है, आयोग द्वारा 31.03.2013 को समाप्त अवधि में आयोग अनुमति प्राप्त , ऋण समता अनुपात को विचार करे टैरिफ निर्धारण करेगा ।

17.3 01.04.2013 को अथवा उसके उपरांत किए गए किसी व्यय अथवा संभावित व्यय, जैसा भी आयोग द्वारा शुल्क निर्धारण के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाए, जिसमें जीवन विस्तारण हेतु जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण

व्यय सम्मिलित है, उसे इन विनियमों के विनियम 17.1 में विनिर्दिष्ट रीति से सेवाकृत किया जाएगा ।

17.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में परियोजना की लागत और तद्नुसार ऋण साम्या के अनुपात की गणना, एकल लाईन (Individual Line) और परियोजना के स्थान पर पारेषण के सम्पूर्ण नेटवर्क या यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली को विचार में लेते हुए परिगणित (केल्कुलेट) किया जाएगा ।

18 पूंजी लागत और पूंजीगत संरचना (Capital cost and capital structure)

18.1 किसी परियोजना की लागत पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(क) आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के उपरांत यथाअनुमोदित,परियोजना की वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक किया गया व्यय, अथवा किए जाने हेतु पूर्वानुमानित व्यय, जिसमें सम्मिलित है निर्माण के दौरान ब्याज और वित्तीय प्रभार, निर्माण के दौरान ऋण राशि के विदेशी मुद्रा विनिमय के जोखिम संपरिवर्तन की वजह से हुई लाभ अथवा हानि;

(ख) विनियम 18.3 में विनिर्दिष्ट सीमा दरों के अधीन पूंजीकृत प्रारंभिक कलपुर्जे; और

(ग) विनियम 19 के अधीन अभिनिश्चित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय;

परन्तु, ऐसी परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग हैं, किन्तु उपयोग में नहीं आ रही, उन्हें लागत मूल्य में से बाहर रखा जाएगा ।

18.2 आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के उपरांत यथाअनुमोदित लागत पूंजी टैरिफ अवधारणा का आधार होगी :

परन्तु, सतर्क जांच–पड़ताल में पूंजीगत व्यय की युक्तियुक्तता (रिजेनेबिलीटी) की छान–बीन, वित्तीय योजना, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष तकनीक का उपयोग, लागत मूल्य और समय में वृद्धि, और ऐसे अन्य मामले सम्मिलित किए जा सकेंगे जिन्हें कि आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु समुचित समझा जाए :

परन्तु, जहां कि वास्तविक पूंजीगत मूल्य अनुमोदित पूंजीगत मूल्य से निम्नतर है, वहां टैरिफ निर्धारण हेतु वास्तविक पूंजीगत मूल्य को विचार में लिया जाएगा । अनुमोदित पूंजीगत मूल्य से ऊपर और परे, (over and above) पूंजीगत मूल्य में किसी वृद्धि को आयोग द्वारा सतर्क जांच के अधीन विचार में लिया जा सकता है अथवा आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से उसका मिलान (vetting) किया जा सकता है :

परन्तु, ऐसे प्रकरण में जहां किसी विकासकर्ता को किसी राज्य सरकार द्वारा बोली की द्विस्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए, किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए स्थल प्रदान किया जाता है, वहां परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना स्थल को आबंटित कराने में किया गया कोई व्यय अथवा किए जाने के लिए प्रतिबद्ध कोई व्यय लागत मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

परन्तु, यह भी कि ऐसे किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में लागत पूंजी हेतु निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा :–

(क) पुनर्वास और पुनर्स्थापन के यथाअनुमोदित पैकेज के अनुरूप अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना की लागत; और

(ख) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के निमित्त विकासकर्ता के 10 प्रतिशत अंशदान (कान्ट्रीब्यूशन) की परियोजना लागत :

परन्तु, यह भी कि जहां उत्पादन कंपनी और हितग्राहियों के बीच दीर्घ अवधि विद्युत क्रय अनुबंध हुआ हो अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और हितग्राही के बीच पारेषण सेवा अनुबंध हुआ हो वहां यथास्थिति वास्तविक व्यय की सीमा निर्धारित होने पर, आयोग द्वारा अनुमत (एडमिटेड), पूंजीगत व्यय टैरिफ निर्धारण के लिए ऐसी सीमा को विचार में लिया जाएगा।

18.3 लागत पूंजी में पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जे भी सम्मिलित किए जा सकेंगे। निम्नलिखित मानदंडों के अधीन प्रारंभिक पुर्जों को मूल परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा :–

(i) कोयला आधारित/लिग्नाइट–ज्वलित तापीय उत्पादन केन्द्र – 2.50%

(ii) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र – 1.50%

(iii) पारेषण और वितरण प्रणाली –

(क) पारेषण और वितरण लाईन – 0.75%

(ख) पारेषण और वितरण उपकेन्द्र – 2.50%

(ग) श्रेणीकृत/समांतर क्षतिपूर्ति प्रणालियां और HVDC केन्द्र – 3.50%

(घ) गैस इन्सुलेटेड उपकेन्द्र – 3.50%

18.4 उत्पादन कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति प्रतिस्थान, नवीकरण और आधुनिकीकरण या पुरानी स्थावर परिसम्पत्तियों के जीवन विस्तार पर किए गए किसी व्यय को, मूल पूंजी लागत से प्रतिस्थापित आस्तियों के शुद्ध मूल्य को बट्टे खाते डालने के बाद विचार में लिया जाएगा ।

18.5 किसी वर्ष के दौरान औसत लागत पूंजी की परिगणना उस वर्ष के लिए प्रारंभिक और अंतिम सकल निश्चित परिसम्पत्तियों के औसत के रूप में की जाएगी;

परन्तु, नवीन उत्पादन केन्द्र अथवा इकाई के लिए लागत पूंजी प्रोरेटा आधार पर उस वर्ष के दौरान प्रभारित की जाएगी जिस वर्ष में ऐसी परिसम्पत्ति वाणिज्यिक संचालन में घोषित की जाती है और परवर्ती वर्षों (आगामी वर्ष) में, लागत पूंजी को औसत परिसम्पत्ति के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

19 **अतिरिक्त पूंजीकरण** :

19.1 वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद और कट–ऑफ दिनांक तक निम्नलिखित मदों के लिए कार्य की मूल सीमा में रहते हुए किया गया पूंजीगत व्यय या किए जाने के लिए अनुमानित व्यय आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के अधीन अनुमत किया जा सकेगा :

(i) अन–उनमोचित दायित्व; (अनडिस्चार्जड् लाईबिलिटी)

(ii) निष्पादन हेतु आस्थगित (डिफर्ड) कार्य;

(iii) विनियम 18.3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मूल परियोजना लागत में शामिल प्रारंभिक पुर्जों की प्राप्ति;

(iv) किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन अथवा माध्यस्थम के पंचाट के अनुपालन (अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन) का दायित्व; और

(v) विधि में कोई परिवर्तन;

परन्तु, कार्य के मूल स्वरूप में सम्मिलित कार्यों के विवरण, मय व्यय के अनुमानों, अन–उन्मोचित दायित्वों; (अनडिस्चार्जड् लाईबिलिटीज) और निष्पादन हेतु आस्थगित (डिफर्ड) कार्यों के विवरण, पूंजी निवेश योजना के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

19.2 निम्नलिखित के कारण कट–ऑफ दिनांक के बाद हुआ पूंजीगत व्यय, सतर्क जांच–पड़ताल के अधीन आयोग द्वारा स्वविवेक से अनुमत(स्वीकृत) किया जाएगा :–

(i) माध्यस्थम् के पंचाट अथवा किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री का अनुपालन करने का दायित्व;

(ii) विधि में परिवर्तन;

(iii) कार्य के मूल स्वरूप में एस पाण्ड अथवा एस हैंडलिंग की प्रणाली से संबंधित आस्थगित (डिफर्ड) कार्य ;

(iv) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के मामले में कोई निवेश, जो प्राकृतिक विपदाओं (परन्तु, उत्पादन कंपनी के दुर्लक्ष्य के कारण विद्युत उत्पादन गृह में जल भराव के कारण नहीं) के साथ ही इस्यूरेंस स्कीम की कार्यवाही के समयोजन पश्चात् भौगोलिक कारणों से हुई क्षति वजह से आवश्यक हुआ हो और ऐसा निवेश जिसे आयोग जनरेटिंग स्टेशन के संचालन के लिए आवश्यक समझे, जैसे मदों पर एक करोड़ से अधिक का अतिरिक्त निवेश;

(v) पारेषण/वितरण प्रणाली के प्रकरण में रिले, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्प्यूटर प्रणाली, विद्युत लाईन संवहन संचार, डी.सी. बैट्रियां, त्रुटि के स्तर में बढ़ोत्तरी के कारण स्विच यार्ड उपकरण को प्रतिस्थापित करना, आपात से बहाली प्रणाली, इंसूलेटरों की सफाई संबंधी अधोसंरचना, ऐसे क्षतिग्रस्त उपकरण जिनका बीमा नहीं है उनका प्रतिस्थापन और रूपये एक करोड़ से अधिक राशि का ऐसा निवेश जो पारेषण/वितरण प्रणाली के सफल और दक्ष संचालन हेतु आवश्यक हो गया हो, जैसी मदों पर कोई अतिरिक्त निवेश;

(vi) रूपये एक करोड़ से अधिक राशि का ऐसा कोई निवेश जो आयोग द्वारा तापीय विद्युत केन्द्र को संचालित करने हेतु अपरिहार्य समझा जाए;

परन्तु, उपर्युक्त उपखण्डों (iv), (v) और (vi) के संबंध में गौण मदों की अप्राप्ति पर, अथवा औजारों और सार–संभालों, फर्नीचर, एयरकण्डीशनर, वोल्टेज स्टेबलाईजरों, रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, पंखों, वाशिंग मशीनों, हीट कन्वेटरों, कम्प्यूटर, गद्दों, कालीनों आदि जैसी परिसम्पत्तियों पर हुआ कोई व्यय जो कट–ऑफ दिनांक के बाद किया गया हो, उसे शुल्क के निर्धारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

20. **नवीकरण और आधुनिकीकरण** :

20.1 यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम या वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली की उपयोगी जीवनावधि के आगे जीवन विस्तार के उद्देश्य से किए जाने वाले नवीकरण और आधुनिकीकरण के व्यय की पूर्ति हेतु आयोग के समक्ष प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, लागत उपयोगिता विश्लेषण किसी संदर्भ दिनांक से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय के चरण, पूर्णता की अनुसूची, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता मूल्य जिसमें यदि कोई हो तो विदेशी मुद्रा घटक का

समावेश भी किया जाए, और अन्य कोई जानकारी जिसे उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत समझा जाए, का समावेश होगा;

20.2 जहां उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति नवीकरण और आधुनिकीकरण के अपने प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, वहां लागत अनुमानों, वित्तीय योजना, पूर्णता की अनुसूची, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष तकनीक के उपयोग, लागत लाभ विश्लेषण, और ऐसे अन्य कारक जिन्हें आयोग द्वारा सुसंगत समझा जाए, की युक्तियुक्तता पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरांत, अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

20.3 नवीकरण और आधुनिकीकरण पर हुआ कोई व्यय या पूर्वानुमानित कोई व्यय पर विनियम 18.4 के अधीन प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी ।

21. **उपभोक्ता अंशदान, निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) और अनुदान** :

21.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कराए गए निम्नलिखित प्रकृति के कार्य इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे :–

(क) उपयोगकर्ताओं से भागतः (अंशतः) अथवा पूर्णतः राशियां प्राप्त करने के बाद निक्षेप कार्यों के संदर्भ में कराए गए कार्य;

(ख) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, ए. पी.डी.आर.पी., आदि की राशियों सहित प्राप्त अनुदानों के उपयोग से कराए गए पूंजीगत कार्य;

(ग) समान प्रकृति की कोई अन्य अनुदान और ऐसी प्राप्त राशियां, जिन्हें वापस करने हेतु कोई दायित्व नहीं है और जिसके साथ कोई ब्याज लागतें संबद्ध नहीं हैं, ऐसी आर्थिक सहायता;

परन्तु, आंशिक वित्त पोषण के प्रकरण में ऐसा बर्ताव (ट्रीटमेंट) उस सीमा तक सीमित रहेगा ।

ऐसे पूंजीगत व्यय पर व्ययों के उपचार (ट्रीटमेंट) हेतु निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे :–

(क) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार संचालन एवं संधारण व्यय की अनुमति दी जाएगी;

(ख) मूल्य ह्रास, साम्या पर प्रतिफल, (रिटर्न ऑन इक्विटी) और मानदंडीय ऋण (नॉरमेटिह्व लोन) पर ब्याज की अनुमति नहीं रहेगी ।

22. **साम्या पर प्रतिफल (रिटर्न ऑन इक्विटी)**

22.1 **उत्पादन और पारेषण :** समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना, रूपयों में विनियम 17 के अनुसार निर्धारित समता पूंजी के आधार पर की जाएगी। समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना करपूर्व (प्री टैक्स) आधार पर अधिकतम 15.5 प्रतिशत की आधार दर से इन विनियमों के विनियम 22.3 के अनुसार दी गई सीमा में रहेगी ।

22.2 **वितरण :** समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना, रूपयों में विनियम 17 के अनुसार निर्धारित समता पूंजी के आधार पर की जाएगी । समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना करपूर्व (प्री टैक्स) आधार पर अधिकतम 16.5 प्रतिशत की आधार दर से इन विनियमों के विनियम 22.3 के अनुसार दी गई सीमा में रहेगी ।

22.3 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु समता पूंजी पर प्रतिफल की दर, आधार वर्ष की प्रचलित एम.ए.टी. दर को आधार दर से सकलीकरण द्वारा संगणित की जाएगी;

परन्तु, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को यथास्थिति प्रयोज्य वास्तविक कर (टैक्स) की दर के संदर्भ में समता पूंजी पर प्रतिफल नियंत्रण अवधि के दौरान संबंधित वर्ष में सुसंगत वित्तीय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप रहेगा और उसे नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु पृथकतः वास्तवीकृत किया जाएगा। ऐसे प्रकरण में जहां उस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई कर (टैक्स) देय नहीं है, वहां वास्तविकीकरण के उद्देश्य से कर (टैक्स) की दर को निरंक के रूप में लिया जाएगा।

समता पूंजी पर प्रतिफल की दर को 3 दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांकित किया जाएगा और निम्नांकित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :–

समता पूंजी पर प्रतिफल की कर (टैक्स) पूर्व दर = आधार दर $/(1-t)$

जहां इन विनियमों के विनियम 22.3 के अनुसरण में 't' से तात्पर्य प्रयोज्य कर (टैक्स) की दर है।

परन्तु, जहां यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व वर्ष में हानि उठाई गई है और आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के आधार पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) को समता पूंजी पर प्रतिफल का निर्धारण करते समय विचार में नहीं लिया जा सकेगा ।

23 **ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार** :

23.1 विनियम 17 में दर्शायी रीति से प्राप्त ऋणों पर ऋण के ब्याज की गणना के लिए सकल मानदंडीय ऋण के रूप में विचार किया जाएगा ।

23.2 01.04.2013 की स्थिति में बकाया मानदंडीय ऋण (नॉर्मेटिव लोन) निकालने के लिए सकल मानदंडीय ऋण(ग्रास नॉर्मेटिव लोन) में से आयोग द्वारा अनुमत दिनांक 31. 03.2013 तक के आवर्ती पुनर्भुगतान (कम्यूलेटिव रिपेमेंट)को घटा दिया जाएगा ।

23.3 टैरिफ अवधि के वर्ष हेतु पुनर्भुगतान उस वर्ष के लिए अनुमत (अलाउड) अवमूल्यन (डेप्रीसिएशन) के समतुल्य माना जाएगा ।

23.4 उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति ली गई ऋण स्थगत अवधि (मोरटोरियम पीरियड) के होते हुए भी ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष से विचार में लिया जाएगा और वह अनुमत वार्षिक अवमूल्यन के समतुल्य होगा ।

23.5 ब्याज की दर, परियोजना के लिए प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर परिगणित भारांकित औसत ब्याज दर (केल्कुलेटेड वेटेड एवरेज इंट्रेस्ट रेट) होगी;

परन्तु, जहां किसी विशिष्ट वर्ष के लिए कोई वास्तविक ऋण नहीं लिया गया है तथापि मानदंडीय ऋण फिर भी बकाया हो, वहां अंतिम उपलब्ध भारांकित औसत ब्याज दर विचार में ली जाएगी;

परन्तु, यह और भी कि जहां यथास्थिति, उत्पादन केन्द्र या अनुज्ञप्तिधारी के पास वास्तविक ऋण नहीं है वहां ऐसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी की भारांकित औसत ब्याज दर समग्र रूप से विचारणीय होगी;

परन्तु, यह और भी कि नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या अनुज्ञप्तिधारी, जो अपना संचालन इन विनियमों के प्रभावशील होने की दिनांक के बाद प्रारंभ करने वाले हैं, और जिनके पास वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो नहीं है वहां ब्याज की दर मानदंडीय आधार (नार्मेटिव्ह बेसिस) पर विचारणीय होगी और उस दिनांक, जब यथास्थिति विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी कोई इकाई या पारेषण प्रणाली या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वाणिज्यिक संचालन में घोषित किया गया, को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर +200 आधार बिन्दु के समतुल्य होगी ।

23.6 ऋण पर ब्याज की गणना करने के लिए उस वर्ष के मानदंडीय औसत ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर (वेटेड एवरेज रेट) लागू की जाएगी ।

23.7 ब्याज की उपर्युक्त संगणना में ऋण राशि पर ब्याज, मानदंडीय हो अथवा अन्यथा, उस सीमा तक बाहर रखा जाएगा, जहां पूंजीगत लागत उपभोक्ता अंशदान, अनुदान द्वारा वित्त पोषित अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निक्षेप कार्यों (डिपोजिट वर्क्स) के रूप में कराया गया है ।

23.8 उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति ऋणों की अदला–बदली के तब तक सभी प्रयास करेगी, जब तक इसके कारण से ब्याज पर शुद्ध बचत हो और उस स्थिति में ऐसे पुनःवित्तीकरण से जुड़ी हुई समस्त लागतें हितग्राहियों द्वारा वहन की जायेंगी और शुद्ध बचत हितग्राहियों तथा उत्पादन कम्पनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच, यथास्थिति 50:50 के अनुपात में बांटी जायेगी।

हितग्राही द्वारा ऋण के पुनःवित्तीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के दौरान उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावाकृत ब्याज के पेटे कोई भुगतान नहीं रोका जायेगा।

23.9 ऋण की शर्तो और दशाओं के परिवर्तनों को ऐसे पुनःवित्तीकरण की दिनांक से दर्शाया जायेगा।

23.10 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में उपभोक्ताओं को सुरक्षा निक्षेप (सिक्योरिटी डिपोजिट) पर ब्याज भुगतान, इन विनियमों के तहत ब्याज और वित्त प्रभारों के एक भाग के रूप में अनुमत होगा।

24. अवमूल्यन / मूल्य ह्रास (डेप्रीसिएशन) –

24.1 अवमूल्यन के उद्देश्य से मूल्य आधार (बेस व्हेल्यू) आयोग द्वारा अनुमत(अलाउड) पूंजी लागत (केपिटल कॉस्ट)रहेगी;

परन्तु, पूंजी लागत में अनुदान की राशियां अथवा विनियम 21 में विनिर्दिष्ट स्थिर परिसम्पत्ति के वित्त पोषण हेतु प्राप्त उपभोक्ता अंशदान सम्मिलित नहीं रहेगा।

24.2 आस्तियों का अवशेष (साल्वेज व्हेल्यू ऑफ एसेस्ट्स) दस प्रतिशत मान्य किया जायेगा और आस्ति की ऐतिहासिक पूंजी लागत की अधिकतम 90 प्रतिशत तक का मूल्य ह्रास (डेप्रीसिएशन) स्वीकृत किया जायेगा।

24.3 लीज पर ली गई भूमि और जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि और ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु राखबंद (एसबंड) के भूमि को छोड़कर, (अन्य) भूमि अवमूल्यन योग्य आस्तियां नहीं होगी और इस भूमि के मूल्य को आस्ति (एसेस्ट्स) के अवमूल्यनीय मूल्य (डेप्रीसिएटेड व्हेल्यू) की गणना करते समय पूंजी लागत में से अलग कर दिया जायेगा।

24.4 उत्पादन केन्द्र, पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली की आस्तियों पर अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष सरलरेखा विधि से आस्तियों के उपयोगी जीवन और इन विनियमों से संलग्न अनुसूची एकमेव विनिर्दिष्ट दरों पर की जायेगी;

परन्तु, वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से बाद के 15 वर्षों के अवधि उपरांत वर्ष के अंत में 31 मार्च को शेष रही अवमूल्यनीय मूल्य को आस्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल में विस्तारित कर दिया जायेगा।

24.5 वर्तमान परियोजनाओं के प्रकरण में दिनांक 01.04.2013 को शेष अवमूल्यनीय मूल्य आस्तियों की सकल अवमूल्यनीय मूल्य में से आयोग द्वारा 31.03.2013 तक अनुमत आवर्ती अवमूल्यन को घटाकर निकाला जायेगा।

24.6 अवमूल्यन वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा। अवमूल्यन की संगणना वर्ष के दौरान औसत आस्तियों के आधार पर की जायेगी;

परन्तु, नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या इकाई हेतु अवमूल्यन उस वर्ष के दौरान आस्ति के प्रो रेटा आधार पर किया जायेगा। जिसमें उसे वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत घोषित किया गया है। परवर्तीय वर्षो के लिए अवमूल्यन की संगणना वर्ष के दौरान औसत आस्ति के आधार पर की जायेगी।

25. **कार्यशील पूंजी पर ब्याज–**

25.1 कार्यशील पूंजी के अंतर्गतः

(क) कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों के प्रकरणों मेंः

(i) कोयले की लागत, यदि प्रयोज्य हो, गर्तमुख(पीट–हेड) उत्पादन केन्द्रों हेतु एक महीने की और गैर गर्तमुख(पीट–हेड) उत्पादन केन्द्रों हेतु डेढ़ महीने, उत्पादन हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धिकारक,एन,ए,पी,एफ के आधार पर,

(+) धन

(ii) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धिकारक,एन,ए,पी,एफ के आधार पर उत्पादन हेतु दो महीनों के लिए द्वितीयक ईंधन तेल की लागत, और जहॉ एकाधिक क द्वितीयक ईंधन तेल का उपयोग होता है, वहॉ मुख्य ि द्वितीयक ईंधन तेल के ईंधन तेल भंडार की लागत,

(+) धन

(iii) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय,

(+) धन

(iv) विनियम 40.1 में विनिर्दिष्ट संचालन और संधारण व्ययों के 20 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स,

(+) धन

(v) एक महीने के लिए विद्युत विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों (केपेसिटी चार्ज) और ऊर्जा प्रभारों (इनर्जी चार्ज)समतुल्य प्राप्तव्य जिन्हें मानदण्डीय संयंत्र उपलब्धता कारक पर परिगणित किया गया है।

(ख) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में:

(i) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय,

(+) धन

(ii) यथास्थिति विनियम 40.3 या 40.4 में विनिर्दिष्ट संचालन और संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स,

(+) धन

(iii) एक महीने की स्थिर लागत (फिक्स्ड चार्ज) के समतुल्य प्राप्तव्य।

(ग) पारेषण के प्रकरण में:

(i) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय,

(+) धन

(ii) विनियम 47.5 में विनिर्दिष्ट संचालन और संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स,

(+) धन

(iii) एक महीने की स्थिर लागत (फिक्स्ड चार्ज) के समतुल्य प्राप्तव्य।

(घ) वितरण व्हीलिंग व्यापार के प्रकरण में:

(i) उस वित्तीय वर्ष के लिए संचालन और संधारण व्यय की राशि का बारहवाँ (1/12) भाग

(+) धन

(ii) विनियम 57.4 में विनिर्दिष्ट संचालन और संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स,

(+) धन

(iii) प्रचलित टैरिफों पर वितरण तारों के उपयोग हेतु प्रभारों से अनुमानित राजस्व का एक माह के समतुल्य;

(ड़) विद्युत के फुटकर प्रदाय के प्रकरण में:

(i) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय,

(+) धन

(ii) विनियम 66.6 में विनिर्दिष्ट संचालन और संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स

(+) धन

(iii) प्रचलित टैरिफों पर विद्युत के विक्रय से अनुमानित राजस्व का एक माह के समतुल्य प्राप्तव्य;

(iv) घटाएं: उपभोक्ताओं से नगद सुरक्षा निक्षेप (एस.डी.) के रूप में रखी गई राशि।

25.2 विनियम 25.1 के उपखण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में ईंधन की लागत, उत्पादन कम्पनी द्वारा मानदण्डीय परिवहन और हैण्ड़लिंग की हानियों (नार्मेटिव्ह ट्रांजिट एंड हैंडलिंग लॉस) को ध्यान में रखते हुए, उनकी पहुंच लागत (लैंडेड कॉस्ट) और ईंधन के सकल कैलोरी मूल्य (जी.सी.व्ही.) जो कि तीन महीनों के लिए उपलब्ध नवीनतम् उपलब्ध वास्तविक डाटा के अनुरूप होगा और टैरिफ अवधि के दौरान ईंधन मूल्य में वृद्धि संबंधी किसी पूर्वानुमान को विचार में नहीं लिया जायेगा।

25.3 कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर उस वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (बेस रेट) धन 350 आधार बिन्दु (बेसिस प्वाइंट) के समतुल्य अनुमत होगी, जिस वर्ष में याचिका दाखिल की गई है। वास्तविकीकरण ब्याज की दर को उस वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल को प्रचलित वास्तविक दर के अनुसार समायोजित किया जायेगा, जिसके लिए वास्तविकीकरण का कार्य किया गया है।

25.4 कार्यशील पूंजी पर ब्याज मानदंडीय आधार (नार्मेटिव्ह बेसिस) पर भुगतान योग्य होगा, भले ही उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यशील पूंजी के लिए किसी बाहरी एजेंसी से ऋण प्राप्त नहीं किया गया हो।

26. **आय पर कर** –

कोर व्यापार को छोड़कर किसी अन्य स्रोत (स्ट्रीम) से होने वाली आय को टैरिफ में पास थ्रु घटक नहीं माना जायेगा और इस प्रकार की अन्य आय पर लगने वाला कर यथास्थिति, उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में जहॉ किसी अन्य स्रोत के अंतर्गत

आय/सेवाओं अथवा वार्षिक राजस्व आवश्यकता में विचारित किसी गैर टैरिफ आय के लिए कर का भुगतान किया गया है वहॉ ऐसे कर भी टैरिफ में से पास थ्रु कर दिए जायेंगे।

27. **छूट**–

उत्पादन कम्पनी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा साख पत्रों (लेटर ऑफ क्रेडिट) या अन्यथा के माध्यम से देयकों का भुगतान करने पर एक प्रतिशत की दर से छूट अनुमत की जायेगी, यदि उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को यथास्थिति देयक प्रस्तुत करने के 07 दिवस के भीतर भुगतान किया जाता है।

28. **विलम्बित भुगतान पर अधिभार**–

28.1 यदि इन विनियमों के अंतर्गत भुगतान योग्य प्रभारों के किसी देयक के भुगतान में हितग्राही द्वारा बिल दिनांक से 30 दिवस से अधिक का विलंब किया जाता है तो 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अथवा उसकी बकाया राशि के किसी भाग पर एक विलंब भुगतान अधिभार, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

28.2 फुटकर ग्राहक के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार सुसंगत टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार वसूलनीय होगा।

29. **विदेशी मुद्रा विनिमय दर विचलन**–(वेरिएशन)

29.1 यथास्थिति, उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी उस विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय विचलन जोखिम का सामना कर सकते हैं जो उन्होनें उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली या वितरण की प्रणाली लगाने हेतु, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के विवेकानुसार, भागतः या पूर्णतः प्राप्त किया है।

29.2 प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत वर्ष में वर्षानुवर्षी आधार पर उस अवधि में जब ऐसे व्यय उद्भूत होते हैं, मानदण्डीय विदेशी ऋण से संगत विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन जोखिम की लागत वसूल करेगा और ऐसी विदेशी मुद्रा विनियम दर विचलन से संगत अतिरिक्त रूपये का दायित्व विदेशी ऋण जोखिम के विरूद्ध अनुमत नहीं किया जायेगा।

29.3 उस सीमा तक जहॉ उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी, ब्याज भुगतान और ब्याज पुनर्भुगतान के निमित्त अतिरिक्त रूपये के दायित्व का विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम नहीं उठा पाते हैं वहॉ उन्हें सुसंगत वर्ष में मानदण्डीय विदेशी मुद्रा अनुमति योग्य

होगी, बशर्ते ऐसा उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी या इसके प्रदायकर्ताओं या संविदाकर्ताओं की वजह से न हुआ हो।

30. **विदेशी मुद्रा विनियम दर विचलन जोखिम की लागत की वसूली**–

प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और/अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी जोखिम लागत और विदेशी मुद्रा विनिमय दर विचलन की लागत वर्षानुवर्षी आधार पर उस अवधि के लिए जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में हितग्राहियों से वसूल करेंगे।

31. **बिलिंग और प्रभारों का भुगतान**–

31.1 उत्पादन कम्पनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा इन विनियमों के अनुसरण में मासिक आधार पर क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार हेतु देयक भेजे जायेंगे और उपभोक्ताओं द्वारा उनका भुगतान, यथास्थिति सीधे उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम को किया जायेगा।

टिप्पणी :

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. को विद्युत का प्रदाय गैर ए.बी.टी. रीति के माध्यम से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. को विद्युत का प्रदाय, ए.बी.टी. रीति से पहली बार प्रारंभ किया जा रहा है। इसे प्रारंभ करने में यदि कठिनाइयां अनुभव की जाती है तो आयोग इसकी अनुमति, अपने टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट किये अनुसार, प्रयोग के तौर पर किसी अवधि तक के लिए दे सकेगा। इस अवधि के दौरान समस्त वाणिज्यिक निपटारे (सेटलमेंट)वर्तमान व्यवस्था पर आधारित होंगे अथवा आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होंगे।

31.2 किसी ऐसी संयंत्रक क्षमता जिसके लिए हितग्राही को चिन्हित और अनुबंधित नहीं किया गया है से संबंधित पारेषण प्रभार का भुगतान संबंधित उत्पादन कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

31.3 फुटकर उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग का कार्य प्रचलित छत्तीसगढ़ प्रदाय संहिता और उसमें हुए संशोधनों के अनुसार किया जायेगा।

31.4 उस दशा में जब राज्य सरकार सब्सिडी की देय राशि का भुगतान समय सीमा में और फुटकर उपभोक्ताओं के लिए नगद में नहीं करती, तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या./वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर देयक जारी करेगा।

32. **पेंशन कोष–अंशदान**:

पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल,/राज्य विद्युत कम्पनियों के ऐसे कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 से पहले हुई है की पिछली अकोषित (अंफन्डेड) देयताओं (लाईबिटीज) को पूरा करने के लिए एक पेंशन और ग्रेज्युटी ट्रस्ट निर्मित किया गया है और जिसके वित्त पोषण की अनुमति आयोग के पिछले टैरिफ आदेशों में दी गई है। इस कोष में अंशदान का निर्णय आयोग द्वारा बीमांकित विश्लेषण,(actuarial analysis) राज्य ऊर्जा कम्पनियों को संभावित पेंशन प्रवाह और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एम.वाय.टी./ए.आर.आर. के निर्धारण के समय पेंशन ट्रस्ट के पास राशि की उपलब्धता के आधार पर लिया जायेगा। तथापि पेंशन भुगतान के प्रत्येक वास्तविक प्रवाह (एक्चुअल फ्लो) को नियंत्रण अवधि हेतु इन विनियमों में लिए गए संचालन और संधारण व्ययों में अनुमत नहीं किया जायेगा। पेंशन ट्रस्ट द्वारा पेंशन के बाह्य प्रवाह (आउट फ्लो) की पूर्ति की जायेगी। इस प्रकार आयोग द्वारा निर्धारित पेंशन कोष अंशदान सुसंगत अध्यायों में विनिर्दिष्ट रीति से वसूली योग्य होगा।

अध्याय–4
उत्पादन

33. **उत्पादन टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका**–

इन विनियमों में किये गए प्रावधानों के अनुसरण में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत प्रदाय करने के लिए, शुल्क के निर्धारण हेतु किसी उत्पादन कम्पनी को एक याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

34. **टैरिफ के घटक**–

34.1 किसी तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के प्रदाय हेतु टैरिफ दो भागों से मिलकर बनेगा, नामतः, क्षमता प्रभार (विनियम 35 में विनिर्दिष्ट घटकों से निर्मित वार्षिक निश्चित लागत की वसूली हेतु) और ऊर्जा प्रभार (ईंधन की लागत की वसूली हेतु)।

34.2 किसी जलीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के प्रदाय हेतु टैरिफ कंपोजिट क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार से ऐसी रीति में निकाला जायेगा जो विनियम 43 में विनिर्दिष्ट है (विनियम 35 में संदर्भित घटकों को सम्मिलित करते हुए)।

35. **वार्षिक निश्चित प्रभार–**

35.1 किसी उत्पादन केन्द्र की वार्षिक निश्चित लागत (ए.एफ.सी) में निम्नलिखित घटकों का समावेश होगाः

(क) समता पर प्रतिफल;

(ख) ब्याज और वित्तीय प्रभार;

(ग) अवमूल्यन;

(घ) कार्यशील पूंजी पर ;ब्याज

(ड़) संचालन और संधारण व्यय.

टीपः 1. विनियम 38 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार गैर टैरिफ आय को, वार्षिक निश्चित प्रभार निकालनें के लिए, उपर्युक्त (**क** से **ङ** तक) के योग में से घटा दिया जायेगा।

2. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभारों की वसूली, समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग (छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग के शुल्क और प्रभार), विनियम की प्रयोज्यता अनुसार की जायेगी।

3. पेंशन और ग्रेज्युटी कोष के अंशदान, आयोग द्वारा शुल्क आदेश में निर्धारित किये अनुसार समान मासिक किश्तों में वसूली योग्य होंगे।

4. वैधानिक कर और ड्युटी प्रतिपूर्ति आधार पर वास्तविकता अनुसार वसूली योग्य होंगे;

तथापि, इन विनियमों के अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार तापीय और जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए अवमूल्यन, ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार अनुमत किये जायेंगे।

36. **पूंजी लागतः**

इन विनियमों के विनियम 18 में प्रावधानित अनुसार पूंजी लागत की अनुमति दी जावेगी।

37. **अस्थिर (Infirm) विद्युत का विक्रयः**

अस्थिर विद्युत का विक्रय आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों पर होगा।

38. **गैर टैरिफ आय** :

38.1 उत्पादन कम्पनी के व्यापार से आनुशांगिक कोई आय जिनमें अग्रांकित सम्मिलित है किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी सामाग्री के विक्रय से आय, विज्ञापनों से आय,

प्रदायकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज, राखड़/विचयनित कोयले की बिक्री से आय, और विद्युत के विक्रय से आय को छोड़कर अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ सम्मिलित है, गैर टैरिफ आय निर्मित करेगी।

38.2 उत्पादन के व्यापार से संबंधित गैर टैरिफ आय के राशि आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार उत्पादन कम्पनी के वार्षिक निश्चित प्रभार को निर्धारित करते समय वार्षिक निश्चित लागत में से घटा दी जायेगी;

परन्तु, उत्पादन कम्पनी द्वारा गैर टैरिफ आय का अपना अनुमान आयोग को ऐसे प्रारूप में पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

39. **ताप उत्पादन केन्द्र के संचालन हेतु मानदण्डः**

39.1 **मानदंडीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारकः**–(एन.ए.पी.ए.एफ.)

(क) के.टी.पी.एस. और एच.टी.पी.एस. को छोड़कर समस्त ताप उत्पादन केन्द्र – 85%

(ख) हसदेव ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र, कोरबा (एच.टी.पी.एस.) – 83%

39.2 केन्द्र की सकल ऊष्मा दरः– (जी.एस.एच.आर.)

क. वर्तमान ताप विद्युत केन्द्र

(अ) वर्तमान कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र, (केटीपीएस) और एचटीपीएस को छोड़करः

200/210/250 मेगावॉट सेटस	500 मेगावाट सेट(सब–क्रिटिकल)
2500 किलो कैलारी/के.डब्ल्यू एच.	2425 किलो कैलोरी/के.डब्ल्यू एच.

(ब) हसदेव ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र, कोरबा (4 X 210 मेगावॉट), जी.एच.आर. 2650 किलो कैलारी/के.डब्ल्यू एच. होगी।

टीप– 1. 500 मेगावॉट और उससे ऊपर की ईकाइयों में जहॉ बायलर फीड पंप विद्युत से संचालित होते हैं, वहॉ सकल केन्द्र ऊष्मा दर ऊपर विनिर्दिष्ट केन्द्र ऊष्मा दर से 40 किलो कैलारी/के.डब्ल्यू एच. कम होगी।

टीप– 2. ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जहॉ 200/210/250 मेगावॉट सेटस और 500 मेगावॉट और उससे ऊपर के सेटस का संयोजन है वहॉ मानदण्डीय सकल

उत्पादन केन्द्र उष्मा दर को इन संयोजनों के औसत सकल विद्युत उत्पादन केन्द्र ऊष्मा दर संयोजनों से भारांकित किया जायेगा।

ख. ऐसे ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र जो दिनांक 01.04.2010 को या उसके उपरांत वाणिज्यिक उत्पादन में आये हैं:

क. कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र = 1.065 × रूपांकन ऊष्मा दर (किलो कैलारी / के.डब्ल्यू एच.)

जहां किसी इकाई की रूपांकन ऊष्मा दर से अभिप्रेत है शत्प्रतिशत एम.सी.आर., 0 (शून्य) प्रतिशत मेकअप, रूपांकित कोयला और रूपांकित कुलिंग टावर तापमान / बैक प्रेशर की दशाओं में प्रदायकर्ता द्वारा गारंटीकृत इकाई ऊष्मा दर;

तथापि ऐसी रूपांकन ऊष्मा दर निम्नांकित अधिकतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दरों से, इकाई की दबाव और तापमान रेटिंग पर निर्भर रहते हुए निम्नलिखित अधिकतम रूपांकन ऊष्मा दर से अधिक नहीं होगी।

दबाव रेटिंग (के.जी / वर्ग से.मी.)	150	170	170	247	247
एस.एच.टी. / आर.एच.टी (0सी)	535 / 535	537 / 537	537 / 565	537 / 565	565 / 593
बी.एफ.पी. का प्रकार	विद्युत चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित	टरबाईन चालित
अधिकतम टरबाईन चक्र ऊष्मा दर (किलो कैलारी / के.डब्ल्यू एच.)	1955	1950	1935	1900	1850
न्यूनतम बायलर दक्षता					
उप बिटुमिनस भारतीय कोयला	0.85	0.85	0.85	0.85	0..85
बिटुमिनस आयातित कोयल	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
अधिकतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर (किलो कैलारी / के.डब्ल्यू एच.)					
उप बिटुमिनस भारतीय कोयला	2300	2294	2276	2235	2176
बिटुमिनस आयातित कोयल	2197	2191	2174	2135	2079

परन्तु, यह और भी कि जिस प्रकरण में किसी इकाई के दबाव और तापमान के मानक उपर्युक्त रेटिंग से भिन्न है, वहॉ निकटतम श्रेणी की अधिकतम रूपांकन इकाई उष्मा दर को लिया जायेगा;

परन्तु, यह और भी कि जहॉ इकाई ऊष्मा दर गारंटीकृत नहीं है लेकिन उसी प्रदायकर्ता या भिन्न प्रदायकर्ताओं द्वारा ऊष्मा दर और बायलर की दक्षता पृथक से गारंटीकृत है, वहॉ इकाई रूपांकन उष्मा दर निकालने के लिए गारंटीकृत टरबाईन चक्रिय ऊष्मा दर और बायलर दक्षता का उपयोग किया जायेगा;

टीपः ऐसी इकाईयों जहॉ बायलर के फीड पंप विद्युत से संचालित होते हैं वहॉ अधिकतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर ऊपर विनिर्दिष्ट टरबाईन चलित बी.एफ.टी. की अधिकतम रूपांकन इकाई ऊष्मा दर से 40 (किलो कैलारी/के.डब्ल्यू एच.) कम होगी।

39.3 द्वितीयक ईंधन तेल की खपतः

क. के.टी.पी.एस. को छोड़कर कोयला आधारित उत्पादन केन्द्रों के लिए : 1.0 एम.एल./के.डब्ल्यू.एच.

39.4 सहायक विद्युत खपत

(क) के.टी.पी.एस. और एच.टी.पी.एस. को छोड़कर कोयला आधारित उत्पादन केन्द्रों के लिएः

		नैसर्गिक सूखी (नेचुरल ड्राफ्ट) कुलिंग टॉवर या बिना कुलिंग टॉवर के
(1)	200 मेगावॉट	8.5%
(2)	500 मेगावॉट से ऊपर	
	वाष्प चालित बायलर फीड पंप	6.0%
	विद्युत चालित बायलर फीड पंप	8.5%

परन्तु, यह भी कि कम सूखी (इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट) कुलिंग टॉवर वाले ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए मानदंडों में 0.5 प्रतिशत की और भी वृद्धि की जायेगी;

परन्तु, यह भी कि स्टैटिक एक्साईटेंशन प्रणाली के लिए मानदण्डों में 0.3% की और भी वृद्धि की जायेगी।

(ख) विद्युत केन्द्रों के पुराने कार्य निष्पादन और रूपांकन पहलुओं को विचार में लेते हुए छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्या. के हसदेव ताप विद्युत केन्द्रों के लिए सहायक खपत को 9.70% पर निश्चित किया गया है।

39.5 अन्यत्र में समाविष्ट किसी और बात के होते हुए भी कोरबा (पूर्व) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए संचालन के मानदण्ड, अर्थात एन.ए.पी.ए.एफ. केन्द्र ऊष्मा दर और सहायक खपत आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि हेतु बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण के समय निश्चित किये जायेंगे।

39.6 **पारगमन (ट्रांजिट) और सार–संभाल (हैंडलिंग) की क्षतियॉ:**

कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु नियंत्रण अवधि के लिए पारगमन और सार–संभाल (हैंडलिंग) की क्षतियॉ उस माह के दौरान कोयला प्रदाय कम्पनी द्वारा प्रेषित देशी कोयले की मात्रा के प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार रहेंगी:

(क) निम्नलिखित (ख) को छोड़कर कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र:

1.	गर्तमुख (पिट हेड) उत्पादन केन्द्रों हेतु	:	0.30%
2.	गैर गर्तमुख (नॉन–पिट हेड) उत्पादन केन्द्रों हेतु	:	0.80%

(ख) कोरबा पूर्व ताप विद्युत केन्द्र संकुल (कांप्लेक्स) : 1.15%

40. संचालन और संधारण पर व्यय

40.1 ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र:

(क) उत्पादन कम्पनी के लिए संचालन और संधारण व्यय में निम्नलिखित व्यय होंगे:

1. कर्मचारियों पर व्यय;
2. प्रशासनिक और सामान्य व्यय;
3. मरम्मत और संधारण।

(ख) जल प्रभारों, पेंशन कोष अंशदान और आधार वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वेतन पुनरीक्षण बकाया राशि के असर को छोड़कर संचालन और संधारण व्ययों को आयोग द्वारा सतर्क जॉच के अधीन वास्तविक संचालन और संधारण व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाला जायेगा, जिसमें आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष 2012–13 के तत्काल पूर्व के पिछले तीन वर्षो के अंकेक्षित/अनअंकेक्षित लेखों में उपलब्ध जल प्रभारों,

पेंशन कोष अंशदान और वेतन पुनर्रीक्षण की बकाया राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(ग) सामान्यीकरण का कार्य सी.पी.आई. में वास्तविक परिवर्तन को 60 प्रतिशत की दर से भारमान (वेटेज) देते हुए और डब्लूय.पी.आई. में वर्षानुवर्षी आधार पर वास्तविक परिर्वतन को 40 प्रतिशत भारमान (वेटेज) देते हुए किया जायेगा। तब वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2011–12 हेतु शुद्ध सामान्यीकृत वर्तमान मूल्य का औसत वर्ष 2012–13 की आधार वर्ष मूल्य को प्रोजेक्ट करने में उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य में उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर की वृद्धि करने के उपरांत नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संचालन और संधारण व्यय (वेतन पुनरीक्षण, यदि कोई हो, के प्रभाव को छोड़कर) का अनुमान लगाने में किया जायेगा।

वास्तविकीकरण के समय संचालन और संधारण लागत पर विचार उस अवधि के लिए पूर्वानुमानिक मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में लेने के पश्चात् किया जायेगा। परन्तु, ऐसे जल प्रभार टैरिफ में प्रतिपूर्ति के आधार पर पास–थ्रू कर दिए जायेंगे;

परन्तु, यह और भी कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनर्रीक्षण (एरियर्स सहित) के प्रभाव को अंकेक्षित/अनअंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक रूप से आयोग की सतर्क जॉच और ऐसे अन्य कारक जिसे वह विचार में लेना समुचित समझें के अधीन, अनुमत किया जायेगा।

40.2 ऐसी इकाईयों/केन्द्रों के लिए जो 01.04.2005 के उपरांत वाणिज्यिक संचालन में आई है, आधार वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए संचालन और संधारण व्ययों को निम्नानुसार विचार में लिया जायेगाः–

40.2.1 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्ते और दशाएं) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार मानदण्डीय संचालन और संधारण व्यय, वर्ष 2009–10 के लिए उपर्युक्त विनियम में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमत मूल्य के 90 प्रतिशत की दर से अनुमति योग्य होंगे। ऐसा मानदण्डीय मूल्य राज्य सरकार को भुगतान योग्य जल करों को छोड़कर होगा। जिसे हितग्राही को वास्तविक आधार पर पास–थ्रू कर दिया जायेगा। तथापि, पेंशन कोष दायित्वों को छोड़कर इस प्रकार निकाला गया मानदण्डीय मूल्य, मुख्यालय या होल्डिंग कम्पनी की पूर्ति में हुए समस्त खर्चों को सम्मिलित करते हुए माना जायेगा।

40.2.2 उपर्युक्तानुसार निकाला गया वर्ष 2009–10 के लिए समंजित मूल्य वर्षानुवर्षी आधार पर 2011–12 तक सी.पी.आई. : डब्लुय.आई. अनुपात के 60:40 के औसत भारमान पर वास्तविक मुद्रास्फीति से वर्धित (एस्केलेटेड) किया जायेगा।

40.2.3 वर्ष 2012–13 और उससे आगे का मानदंडीय मूल्य पूर्वानुमानित करने के लिए, पिछले तीन वर्षो औसत मुद्रास्फीति (अर्थात 2009–10, 2010–11, 2011–12) को लागू किया जायेगा।

परन्तु, वास्तविकीकरण के संबंध में मानदण्डीय संचालन और संधारण व्यय को उस अवधि के लिए वास्तविक मुद्रास्फीति का प्रभाव ध्यान में लेने के लिए पुनः समायाजित किया जायेगा;

परन्तु, यह और भी कि वेतन पुनर्रीक्षण (एरियर्स सहित), यदि कोई हो, के प्रभाव को पृथक से वास्तविकीकरण के दौरान अंकेक्षित/अनअंकेक्षित लेखों के अनुसार, आयोग की सतर्क जॉच और ऐसे अन्य कारक जिसे वह विचार में लेना समुचित समझें के अधीन, विचार में लिया जायेगा ।

40.3 **वर्तमान जल विद्युत उत्पादन केन्द्रः**

(क) उत्पादन कम्पनी के लिए संचालन और संधारण व्यय में निम्नलिखित व्यय होंगेः

1. कर्मचारियों पर व्यय;
2. प्रशासनिक और सामान्य व्यय;
3. मरम्मत और संधारण।

(ख) जल प्रभारों, पेंशन कोष अंशदान और आधार वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वेतन पुनर्रीक्षण बकाया राशि के असर को छोड़कर संचालन और संधारण व्ययों को आयोग द्वारा सतर्क जॉच के अधीन वास्तविक संचालन और संधारण व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाला जायेगा, जिसमें आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष 2012–13 के तत्कालपूर्व के पिछले तीन वर्षो के अंकेक्षित/अनअंकेक्षित लेखों में उपलब्ध जल प्रभारों, पेंशन कोष अंशदान और वेतन पुनरीक्षण की बकाया राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(ग) सामान्यीकरण का कार्य सी.पी.आई. में वास्तविक परिवर्तन को 60 प्रतिशत की दर से भारमान (वेटेज) देते हुए और डब्लूय.पी.आई. में वर्षानुवर्षी आधार पर वास्तविक परिर्वतन को 40 प्रतिशत भारमान (वेटेज) देते हुए किया जायेगा। तब वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2011–12 हेतु शुद्ध सामान्यीकृत वर्तमान मूल्य का औसत वर्ष 2012–13 की आधार वर्ष मूल्य को प्रोजेक्ट करने में उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य में उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर की वृद्धि करने के उपरांत नियंत्रण अवधि के प्रत्येक

वर्ष के लिए संचालन और संधारण व्यय (वेतन पुनर्रीक्षण, यदि कोई हो, के प्रभाव को छोड़कर) का अनुमान लगाने में किया जायेगा।

(घ) वास्तविकीकरण के समय संचालन और संधारण व्यय पर विचार, उस अवधि के लिए पूर्वानुमानित मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति पर ध्यान देते हुए किया जायेगा।

परन्तु, महंगाई भत्ते में कोई विचलन और वेतन पुनर्रीक्षण के एरियर्स का प्रभाव वास्तविक रूप से, वास्तविकीकरण के दौरान अंकेक्षित/अनअंकेक्षित लेखों के अनुसार आयोग की सतर्क जॉच और आयोग द्वारा इस संबंध में समुचित समझे गए किसी कारक के अध्यधीन होगा।

40.4 **नवीन जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए**:

(क) संचालन के प्रथम वर्ष हेतु संचालन और संधारण व्यय मूल परियोजना लागत (पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यो में हुए व्यय को छोड़कर) का 1.5 प्रतिशत होगा;

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संचालन और संधारण व्ययों का निर्धारण उपर्युक्तानुसार संचालन के प्रत्येक वर्ष हेतु निर्धारित आधार वर्ष के व्ययों को विनियम 40.3 में प्रावधानित मूल्य वृद्धि कारक पर मूल्य वर्धित करते हुए किया जायेगा।

41. **जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के संचालन हेतु मानदण्ड**:

41.1 टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से सकल उत्पादन को संयंत्र की अनुमोदित रूपांकन ऊर्जा माना जायेगा;

41.2 टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से विशेष परिस्थितियों में आयोग द्वारा रूपांकन विद्युत की तुलना में सकल उत्पादन के संबंध में एक और भत्ता (एलाउंस) प्रदान किया जा सकता है, उदाहरणार्थ– असामान्य सिल्ट की समस्या अथवा अन्य संचालन दशाएं, और ज्ञात संयंत्र–सीमाएं ।

41.3 किसी नवीन जल विद्युत परियोजना के प्रकरण में विकासकर्ता को प्रचलित केन्द्रीय आयोग के विनियम में प्रगणित सिद्धान्तों के आधार पर एन.ए.पी.ए.एफ. के स्थरीकरण हेतु आयोग में अग्रिम रूप से पहुंचने का विकल्प होगा ।

41.4 सहायक विद्युत खपत (ए.यू.एक्स):

(क) सतह वाले (सरफेस) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र

1. जनरेटर शाफ्ट पर चढ़े हुए घूमने वाले एक्साइटर्स सहित: 0.7%
2. स्थैतिक एक्साइटेशन प्रणाली सहित : 1.0%

(ख) भूमिगत जल विद्युत उत्पादन केन्द्र

1. जनरेटर शाफ्ट पर चढ़े हुए घूमने वाले एक्साइटर्स सहित : 0.9%
2. स्थैतिक एक्साइटेशन प्रणाली सहित : 1.2%

42. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए क्षमता प्रभार और विद्युत प्रभार की संगणना और भुगतान :

42.1 ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थिर लागत को वार्षिक आधार पर इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शिथिल मानदंडों सहित, मानदंडों के आधार पर संगणित किया जाएगा, और क्षमता प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूल किया जाएगा । किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु भुगतान योग्य कुल क्षमता प्रभार को, इसके हितग्राहियों द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र की क्षमता में उनसे संबंधित प्रतिशत भाग/ आबंटन के अनुसार बांट लिया जाएगा ।

42.2 किसी कैलेण्डर माह में किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को भुगतान योग्य क्षमता प्रभार निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिगणित किए जाएंगे :

(क) वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को 10 वर्ष से कम वाणिज्यिक संचालन में प्रयुक्त विद्युत उत्पादन केन्द्र : AFC X (NDM/NDY) X (0.5+0.5 X PAFM/NAPAF (रूपयों में);

तथापि ऐसे संयंत्र जो वित्तीय वर्ष में प्लांट एबलिटी फैक्टर 70 प्रतिशत से कम प्राप्त करते हैं तो वर्ष के लिए कुल केपेसिटी चार्ज इस तरह प्रबंधित रहेगाः—AFC X (0.5+35/NAPAF) X (PAFY/70) (in rupees)

(ख) वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को 10 वर्ष या उससे अधिक से वाणिज्यिक संचालन में प्रयुक्त विद्युत उत्पादन केंद्र : AFC X (NDM/NDY) X (PAFM/NAPAF) (रूपयों में);

जहॉ,

AFC = उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत,(Annual fixed cost) रूपयों में

NAPAF = मानदंडीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक,(Normative Annual plant availability factor) प्रतिशत में

NDM = माह में दिवसों की संख्या

NDY = वर्ष में दिवसों की संख्या

PAFM = माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (plant availability factor), प्रतिशत में

PAFY = वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (plant availability factor), प्रतिशत में

परन्तु जब तक राज्यांतरिक ए.बी.टी. प्रणाली लागू नहीं हो जाती है तब तक क्षमता प्रभार की संगणना मासिक संयंत्र भार कारक(plant load factor) और वार्षिक संयंत्र भार कारक (plant load factor) के आधार पर की जाएगी ।

42.3 माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक और वर्ष के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसरण में की जाएगी :–

$$\text{PAFM or PAFY} = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DC_i / \{N \times IC \times (100 - AUX)\}\%$$

जहां,

AUX= से तात्पर्य है, मानकीकृत सहायक ऊर्जा उपभोग, जो सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में हो, और

DCi= से तात्पर्य है, उस अवधि के i वें दिन के लिए (मेगावाट में) औसत घोषित क्षमता (एक्सबस मेगावाट में) अर्थात यथास्थिति, वह माह अथवा वर्ष, जिसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिन के पूरा होने के पश्चात् प्रमाणित किया जाए ।

IC= से तात्पर्य है, उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N= से तात्पर्य है, उस अवधि अर्थात यथास्थिति माह अथवा वर्ष के दौरान दिनों की संख्या।

$\sum$- से तात्पर्य है, i = 1 से N

टीप– डी.सी.आई. और आई.सी. में ऐसी उत्पादन इकाइयों की क्षमता सम्मिलित नहीं रहेगी, जिन्हें वाणिज्यिक संचालन में घोषित नहीं किया गया है। संबंधित अवधि में जहां आई.सी. में कोई परिवर्तन होता है वहां इसका औसत मूल्य (एवरेज वेल्यू) लिया जाएगा।

42.4 जहां किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ईंधन की कमी हो जाती है वहां उत्पादन कंपनी अधिकतम मांग के घंटों के दौरान उच्चतर मेगावाट का प्रदाय प्रस्तावित कर सकती है, जिससे ऑफ पीक घण्टों के दौरान ईंधन की बचत हो सके। उस स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन केन्द्र के लिए, हितग्राहियों के परामर्श से, एक व्यावहारिक दिवस पूर्व, अनुसूची विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे इसकी मेगावाट और विद्युत क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके । ऐसी स्थिति में औसत घोषित क्षमता को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उस दिन के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूची में अधिकतम पीक अवर एक्स पॉवर प्लाण्ट मेगावाट के समतुल्य लिया जाएगा।

42.5 ऊर्जा प्रभार में ईंधन की लागत (प्राथमिक ईंधन के साथ द्वितीयक ईंधन) सम्मिलित होगी, और प्रत्येक हितग्राही द्वारा उसे एक्स पॉवर प्लाण्ट आधार पर, उस माह की विद्युत प्रभार दर पर (ईंधन मूल्य समयोजन सहित) उस कैलेण्डर माह के दौरान कुल प्रदाय हेतु अनुसूचित विद्युत के लिए भुगतान योग्य होगी । उत्पादन कंपनी को किसी माह के लिए कुल भुगतान योग्य ऊर्जा प्रभार इस प्रकार होंगे :–

(ऊर्जा प्रभार दर, प्रति kWh रूपयों में)×(माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्सबस), kWh में

परन्तु, जब तक राज्यांतरिक ए.बी.टी. प्रणाली लागू नहीं हो जाती तब तक विद्युत प्रभार संगणना निम्नानुसार की जाएगी :–

(ऊर्जा प्रभार दर, प्रति kWh रूपयों में)×(माह के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्सबस), kWh में

विद्युत प्रभार दर प्रति kWh रूपयों में एक्स पॉवर प्लाण्ट आधार पर कोयला आधारित केन्द्रों के लिए निम्नलिखित सूत्र के अनुरूप 3 दशमलव स्थानों तक निर्धारित की जाएगी :–

$$ECR=[\{(GHR – SFC \times CVSF) \times LPPF / CVPF\} + SFC \times LPSFi] \times 100 / (100 – AUX)$$

जहां,

AUX = मानदंडीय सहायक विद्युत खपत, प्रतिशत में

CVPF = जलाए गए प्राथमिक ईंधन का सकल कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर, यथाप्रयोज्य

CVSF = द्वितियक ईंधन का कैलोरी मूल्य, किलो कैलोरी प्रति मिलीलीटर में

ECR = ऊर्जा प्रभार दर, प्रति बाहर भेजी गई किलोवाट अव्हर प्रति रूपयों में

GHR = सकल केन्द्र ऊष्मा दर, (ग्रास स्टेशन हिट रेट) किलो कैलोरी प्रति किलोवाट अव्हर में

LPPF = प्राथमिक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य, उस माह क दौरान प्रति किलोग्राम, यथाप्रयोज्य प्रति लीटर या प्रति मानक घनमीटर, रूपयों में

SFC = विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिलीलीटर प्रति किलोवाट अव्हर में

LPSFi = द्वितीयक ईंधन का भारांकित औसत प्राप्ति मूल्य रूपये प्रति मिलीलीटर में प्रारंभिक रूप से विचार में लिया गया ।

42.6 यद्यपि द्वितीयक ईंधन का मूल्य परिवर्तनीय लागत (वेरिएबल कॉस्ट)का एक भाग होगा तथापि यह ईंधन मूल्य समायोजन सूत्र (एफ.सी.ए.) का भाग नहीं होगा । द्वितीयक ईंधन तेल के मूल्य के कारण पड़ने वाले प्रभाव का ध्यान वास्तविकीकरण के समय रखा जाएगा ।

42.7 प्रारंभतः उत्पादन कंपनी द्वारा द्वितीयक ईंधन तेल पर व्यय किया गया प्राप्ति मूल्य पूर्ववर्ती 3 माह के लिए वास्तविक भारांकित औसत मूल्य के आधार पर लिया जाएगा और पूर्ववर्ती 3 माह के लिए प्राप्ति मूल्यों के अभाव में, उत्पादन केन्द्र के लिए वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व नवीनतम प्राप्ति मूल्यों को लिया जाएगा ।

42.8 द्वितीयक ईंधन तेल के व्यय, वास्तविकीकरण के समय टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में ईंधन मूल्य (फ्यूएल कॉस्ट) समायोजन के अधीन होंगे ।

42.9 माह के लिए प्राप्त ईंधन के मूल्य में ईंधन का वह मूल्य सम्मिलित होगा जो उस श्रेणी और गुणवत्ता के ईंधन के समकक्ष होगा जिसमें रॉयल्टी, कर और यथा प्रयोज्य ड्युटियां और कनवेयर/रेल/सड़क या किसी अन्य माध्यम से परिवहन की लागत सम्मिलित होगी, और ऊर्जा प्रभार की संगणना की दृष्टि से, और कोयले की प्रकरण में इसे विनियम 39.6 में विनिर्दिष्ट मानदण्डीय परिवहन और संभाल की क्षतियों पर विचार करने के उपरांत निकाला जायेगा।

42.10 प्राथमिक ईंधन मूल्य में त्रैमासिक वृद्धि की वसूली आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से ली गई याचिका क्रमांक 26/2011 पर अपने आदेश, समय–समय पर यथा संशोधित/रूपांतरित में वर्णित ईंधन मूल्य समायोजन रीति के अनुसार की जायेगी।

43. **जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार की संगणना और भुगतान–**

43.1 जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु टैरिफ, एक भागीय टैरिफ होगा;

43.2 जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों को अवश्य चलने वाले (मस्ट रन) विद्युत उत्पादन केन्द्र के रूप में माना जावेगा।

44. **सी.डी.एम. लाभों की भागीदारीः**

44.1 अनुमोदित सी.डी.एम परियोजना से प्राप्त कार्बन साख (क्रेडिट) को निम्नांकित रीति से बांटा जायेगा, नामतः–

(क) सी.डी.एम. की ओर सकल प्राप्तियों का शतप्रतिशत परियोजना विकासकर्ता द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक संचालन में आने की दिनांक से एक वर्ष में अपने पास रखा जायेगा;

(ख) दूसरे वर्ष में हितग्राहियों का भाग 10 प्रतिशत होगा जिसे क्रमशः 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से तब तक बढ़ाया जायेगा जब तक यह 50 प्रतिशत नहीं पहुंच जाता, इसके उपरांत ऐसी प्राप्तियों को उत्पादन कम्पनी और हितग्राहियां के बीच समान अनुपात में बांट लिया जायेगा।

———————

अध्याय–5
पारेषण

45. **टैरिफ के घटक–**

45.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ के घटक हेतु वार्षिक पारेषण प्रभारः

नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ के घटक हेतु वार्षिक पारेषण प्रभारों में नियंत्रण अवधि के संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम की सकल राजस्व आवश्यकता की वसूली हेतु प्रावधान रहेगा, जिसमें आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार गैर टैरिफ आय और अन्य व्यापार से होने वाली आय को कम कर दिया जायेगा;

45.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक पारेषण प्रभारों को आयोग द्वारा इन विनियमों के अध्याय–2 के अनुसरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सकल राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु आवेदन के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

46. **पूंजी निवेश योजना–**

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों के अध्याय–2 में विनिर्दिष्ट रीति से पूंजी निवेश की एक योजना प्रस्तुत करेगा।

47. **राज्यांतरिक पारेषण नेटवर्क के लिए वार्षिक प्रभारों की संगणना–**

47.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की सकल राजस्व आवश्यकता में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे, नामतः

(क) समता पर प्रतिफल;

(ख) ब्याज और वित्तीय प्रभार;

(ग) अवमूल्यन;

(घ) संचालन और संधारण के व्यय;

(ङ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

घटाएं:

(च) गैर टैरिफ आय

टीपः

1. वार्षिक निश्चित प्रभार प्राप्त करने के लिए विनियम 50 में यथाविनिर्दिष्ट गैर टैरिफ आय उपर्युक्त **(क लगायत ङ)** में से घटा दिये जायेंगे;

2. आयोग द्वारा अपने टैरिफ आदेश में यथा निर्धारित पेंशन और ग्रेच्युटी कोष के अंशदान समान मासिक किश्तों में वसूली योग्य होंगे;

3. वैधानिक कर और शुल्क प्रतिपूर्ति आधार पर, वास्तविकता अनुसार वसूली योग्य होंगे।

47.2 **समता पर प्रतिफल**–

इन विनियमों के विनियम 22 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को समता पर प्रतिफल की अनुमति प्रदान की जायेगी।

47.3 **ऋण पूंजी पर ब्याज–**

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार, इन विनियमों के विनियम 23 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अनुमत किये जायेंगे।

47.4 **अवमूल्यन–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार निश्चित आस्तियों के मूल्य पर अवमूल्यन को वसूल करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

47.5 **संचालन और संधारण व्ययः**

47.5.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए संचालन और संधारण व्ययों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः

1. कर्मचारियों पर व्यय;
2. प्रशासनिक और सामान्य व्यय;
3. मरम्मत और संधारण।

(क) पेंशन कोष अंशदान और आधार वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वेतन पुनर्रीक्षण बकाया राशि के असर को छोड़कर संचालन और संधारण व्ययों को आयोग द्वारा सतर्क जॉच के अधीन वास्तविक संचालन और संधारण व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाला जायेगा, जिसमें आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष 2012–13 के तत्कालपूर्व के पिछले तीन वर्षों के अंकेक्षित/अनअंकेक्षित लेखों में उपलब्ध पेंशन कोष अंशदान और वेतन पुनर्रीक्षण की बकाया राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(ख) सामान्यीकरण का कार्य सी.पी.आई. में वास्तविक परिवर्तन को 60 प्रतिशत की दर से भारमान (वेटेज) देते हुए और डब्लूय.पी.आई. में वर्षानुवर्षी आधार पर वास्तविक परिर्वतन को 40 प्रतिशत भारमान (वेटेज) देते हुए किया जायेगा। तब वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2011–12 हेतु शुद्ध सामान्यीकृत वर्तमान मूल्य का औसत वर्ष 2012–13 की आधार वर्ष मूल्य को प्रोजेक्ट करने में उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य में उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर की वृद्धि करने के उपरांत नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संचालन और संधारण व्यय (वेतन पुनरीक्षण, यदि कोई हो, के प्रभाव को छोड़कर) का अनुमान लगाने में किया जायेगा।

वास्तविकीकरण के समय संचालन और संधारण लागत पर विचार उस अवधि के लिए पूर्वानुमानिक मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में लेने के पश्चात् किया जायेगा।

परन्तु, यह और भी कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनर्रीक्षण (एरियर्स सहित) के प्रभाव को अंकेक्षित/अनअंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक रूप

से आयोग की सतर्क जॉच और ऐसे अन्य कारक जिसे वह विचार में लेना समुचित समझें के अधीन, अनुमत किया जायेगा।

47.5.2 31 मार्च, 2013 के उपरांत प्रारंभ हुए नवीन पारेषण लाईनों/उपकेन्द्रों के लिए अतिरिक्त संचालन और संधारण व्यय की अनुमति आयोग द्वारा वास्तविकीकरण के समय आयोग की सतर्क जॉच के अधीन अनुमत होगा।

47.6 **कार्यशील पूंजी पर ब्याज**–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज की अनुमति, इन विनियमों के विनियम 25 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार दी जायेगी।

48. **राज्यांतरिक पारेषण नेटवर्क पर प्रभारों की भागीदारी**–

पारेषण प्रणाली की स्थिर लागत को, इन विनियमों में निहित मानदण्डों के अनुरूप वार्षिक आधार पर संगणित किया जायेगा, और हितग्राहियों से तथा मुक्त उपयोग विनियम (ओपन एक्सेस रेगुलेशन) में विनिर्दिष्ट पद्धति से, हितग्राहियों से मासिक आधार पर वसूल किया जायेगा।

49. **उपकेन्द्र में सहायक विद्युत खपत**–

उपकेन्द्र में वातानुकुलन, प्रकाश व्यवस्था और अन्य उपकरणों में खपत के उद्देश्य से सहायक विद्युत उपभोग हेतु प्रभार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा वहन किये जायेंगे, और उन्हें संचालन और संधारण व्ययों में सम्मिलित किया जायेगा।

50. **गैर टैरिफ आय**:

50.1 पारेषण कम्पनी के व्यापार से आनुशांगिक कोई आय जिनमें अग्रांकित सम्मिलित हैं किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी सामाग्री के विक्रय से आय, विज्ञापनों से आय, प्रदायकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज और अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ सम्मिलित है, गैर टैरिफ आय निर्मित करेगी।

50.2 पारेषण के व्यापार से संबंधित गैर टैरिफ आय की राशि आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक पारेषण प्रभारों को निर्धारित करते समय, सकल राजस्व आवश्यकता में से घटा दी जायेगी;

परन्तु, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अयोग को सकल राजस्व आवश्यकता हेतु अपने आवेदन के साथ गैर टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

51. **पारेषण हानि प्रक्षेपवक्र (ट्रेजेक्टरी) और इसका उपचारः**

51.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु राज्य पारेषण उपक्रम के लिए हानि प्रक्षेपवक्र निम्नानुसार होगाः

वित्तीय वर्ष	2013–14	–	4.40%
वित्तीय वर्ष	2014–15	–	4.30%
वित्तीय वर्ष	2015–16	–	4.20%

अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए ऐसा प्रक्षेपवक्र संबंधित टैरिफ आदेश में दिया जायेगा।

51.2 पारेषण हानि के स्तरों को, विभिन्न इंटरफेस बिन्दुओं से पारेषण प्रणाली में डाली जा रही समस्त विद्युत के कुल योग (X) और वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों), केन्द्रीय पारेषण उपक्रम और पारेषण प्रणाली से जुड़े हुए उपयोग उपभोक्ता(ओं) को पारेषित की गई, कुल विद्युत (Y) में अंतर के रूप में परिगणित किया जायेगा। प्रतिशत में व्यक्त की गई पारेषण हानियां, पारेषण प्रणाली में डाली गई कुल विद्युतपारेषण की हानि का प्रतिशत होगी।

$$\text{पारेषण हानि } (\%) = \frac{(x-y) \times 100}{x}$$

51.3 मानदण्डीय स्तर के विरूद्ध वास्तविक पारेषण हानि का प्रभाव, नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभों/हानियों की भागीदारी के विनियम के अनुसरण में उपचारित किया जायेगा।

———————

अध्याय–6
वितरण व्हीलिंग व्यापार

52. **प्रयोज्यता–**

इस अध्याय में सम्मिलित विनियम किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तारों के उपयोग हेतु भुगतान योग्य टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रयोज्य होंगे।

53 **वितरण व्हीलिंग व्यापार के लिए सकल राजस्व आवश्यकता के घटकः**

53.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण व्हींलिंग व्यापार के लिए व्हीलिंग प्रभारों में, इन विनियम के विनियम 64 में यथा प्रावधानित सकल राजस्व आवश्यकता की वसूली का प्रावधान रहेगा, और उसमें निम्नांकित सम्मिलित होंगेः

(क) संचालन और संधारण के व्यय;

(ख) अवमूल्यन;

(ग) ब्याज और वित्तीय प्रभार;

(घ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(ङ) समता पर प्रतिफल;

(च) पेंशन और ग्रेच्युटी कोष अंशदान

घटाएंः

(छ) गैर टैरिफ आय

टीपः

1. वार्षिक निश्चित प्रभार प्राप्त करने के लिए विनियम 58 में यथाविनिर्दिष्ट गैर टैरिफ आय उपर्युक्त **(क से च)** में से घटा दिये जायेंगे;

2. वैधानिक कर और शुल्क प्रतिपूर्ति आधार पर, वास्तविकता अनुसार वसूली योग्य होंगे;

परन्तु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार, आयोग द्वारा इन विनियिमों के अध्याय–2 के अुनरूप वितरण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा टैरिफ निर्धारण हेतु किये गए आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे;

परन्तु, यह और भी कि वितरण प्रणाली उपयोगकर्ता से वसूली के उद्देश्य से ऐसे व्हीलिंग प्रभार रूपये प्रति किलोवॉट घंटा के मूल्यांककों, अथवा ऐसे

अन्य मूल्यांककों (डिनॉमिनेशन) में होंगे, जैसे आयोग द्वारा समय–समय पर निश्चित किये जायें।

54. **आबंटन मैट्रिक्स**–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने लेखों (खातों) को व्हीलिंग व्यापार और फुटकर प्रदाय व्यापार के बीच पृथक करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार, आयोग द्वारा वितरण वायर व्यापार के पृथक किये हुए खातों के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे; परन्तु, जहॉ वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण व्हीलिंग व्यापार और फुटकर व्यापार के खातों को पृथक से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, वहॉ आयोग निम्नलिखित रीति से आबंटन मैट्रिक्स निर्धारित करेगाः

(क) अनुज्ञप्तिधारी इन दोनों व्यापारों के, नियंत्रण अवधि हेतु मूल्यों और राजस्वों के बंटवारे को दर्शाते हुए एक आबंटन मैट्रिक्स तैयार करेगा। इस वितरण का समर्थन, ऐसे आबंटनों हेतु उपयोग में ली गई पद्धति के स्पष्टीकरण द्वारा किया जायेगा।

(ख) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत आबंटन मैट्रिक्स की समीक्षा करेगा, और सतर्क जॉच के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आबंटन मैट्रिक्स को अंतिम रूप देगा।

55. **पूंजी निवेश योजना**–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों के अध्याय–2 में विनिर्दिष्ट रीति से एक पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेगा।

56. **लागत पूंजी**–

लागत पूंजी की अनुमति इन विनियिमों के अध्याय–3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जायेगी।

57. **सकल राजस्व आवश्यकता की गणनाः**

57.1 **समता पर प्रतिफल**–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वितरण व्हीलिंग व्यापार के लिए समता पर प्रतिफल की अनुमति इन विनियिमों के विनियम 22 में विनिर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

57.2 **ऋण पूंजी पर ब्याज–**

ऋण पूंजी पर ब्याज की संगणना इन विनियिमों के विनियम 23 में विनिर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

57.3 **अवमूल्यन–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आस्तियों के अवमूल्यन की संगणना इन विनियिमों के विनियम 24 में विनिर्दिष्ट अनुसार दी जायेगी।

57.4 **संचालन और संधारण व्ययः**

57.4.1 संचालन और संधारण व्यय में निम्नांकित सम्मिलित हैः

1. कर्मचारियों पर व्यय;
2. प्रशासनिक और सामान्य व्यय;
3. मरम्मत और संधारण।

(क) पेंशन कोष अंशदान और आधार वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वेतन पुनर्रीक्षण बकाया राशि के असर को छोड़कर संचालन और संधारण व्ययों को आयोग द्वारा सतर्क जॉच के अधीन वास्तविक संचालन और संधारण व्ययों के सामान्यीकृत औसत के आधार पर निकाला जायेगा, जिसमें आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष 2012–13 के तत्कालपूर्व के पिछले तीन व वर्षो के अंकेक्षित/अनअंकेक्षित लेखों में उपलब्ध पेंशन कोष अंशदान और वेतन पुनर्रीक्षण की बकाया राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(ख) सामान्यीकरण का कार्य सी.पी.आई. में वास्तविक परिवर्तन को 60 प्रतिशतकी दर से भारमान (वेटेज) देते हुए और डब्लूय.पी.आई. में वर्षानुवर्षी आधार पर वास्तविक परिर्वतन को 40 प्रतिशत भारमान (वेटेज) देते हुए किया जायेगा। तब वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2011–12 हेतु शुद्ध सामान्यीकृत वर्तमान मूल्य का औसत वर्ष 2012–13 की आधार वर्ष मूल्य को प्रोजेक्ट करने में उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त आधार वर्ष मूल्य में उपर्युक्त मुद्रास्फीति दर की वृद्धि करने के उपरांत नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संचालन और संधारण व्यय (वेतन पुनर्रीक्षण, यदि कोई हो, के प्रभाव को छोड़कर) का अनुमान लगाने में किया जायेगा।

(ग) वास्तविकीकरण के समय संचालन और संधारण लागत पर विचार उस अवधि के लिए पूर्वानुमानिक मुद्रास्फीति के बजाय वास्तविक मुद्रास्फीति को ध्यान में लेने के पश्चात् किया जायेगा।

परन्तु, यह और भी कि वास्तविकीकरण के दौरान वेतन पुनर्रीक्षण (एरियर्स सहित) के प्रभाव को अंकेक्षित/अनअंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक रूप से आयोग की सतर्क जॉच और ऐसे अन्य कारक जिसे वह विचार में लेना समुचित समझें के अधीन, अनुमत किया जायेगा।

57.4.2 31 मार्च, 2013 के बाद शुरू हुए नवीन लाईनों/उपकेन्द्रों के लिए अतिरिक्त संचालन और संधारण व्ययों की अनुमति आयोग द्वारा सतर्क जॉच के अधीन, वास्तविकीकरण करते समय दी जायेगी।

57.5 **कार्यशील पूंजी पर ब्याज–**

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अनुमति इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसार दी जायेगी।

57.6 **आय पर कर–**

आय पर कर की अनुमति इन विनियमों के विनियम 26 के अनुसार दी जायेगी।

58. **गैर टैरिफ आय–**

58.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार से आनुशांगिक कोई आय, जिनमें अग्रांकित सम्मिलित हैं, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से– जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी समाग्री के विक्रय से आय, विज्ञापनों से आय, प्रदायकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज, मुक्त उपयोग प्रभार, समानांतर संचालन, शास्तियां (पेनाल्टी) और अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ, विद्युत के विक्रय से प्राप्त आय को छोड़कर सम्मिलित हैं, गैर टैरिफ आय निर्मित करेगी।

58.2 वितरण व्हीलिंग व्यापार से संबंधित गैर टैरिफ आय की राशि, आयोग द्वारा अनुमोदित किये अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण वायर व्यापार के व्हीलिंग प्रभारों को निर्धारित करते समय, सकल राजस्व आवश्यकता में से घटा दी जायेगी;

परन्तु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अयोग को सकल राजस्व आवश्यकता हेतु अपने आवेदन के साथ गैर टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

59 **व्हीलिंग प्रभारों का निर्धारण**–

आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण व्हीलिंग व्यापार के व्हीलिंग प्रभार को अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित अपने आदेश में निर्दिष्ट करेगा। इन विनियमों में अन्य किसी बात के होते हुए भी मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं हेतु प्रयोज्य व्हीलिंग प्रभार सुसंगत वोल्टेज स्तर पर संगणित और लागू किये जायेंगे।

परन्तु, किसी मुक्त उपयोग उपभोक्ता (उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले फुटकर उपभोक्ताओं के अलावा) द्वारा भुगतान योग्य व्हीलिंग प्रभार, मुक्त उपयोग विनियम से शासित होंगे।

परन्तु, यह और भी कि ऐसे मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रभार इन विनियमों के अध्याय–7 के अनुसरण में फुटकर प्रदाय व्यापार की सकल राजस्व आवश्यकता को कम करने में उपयोग में लिए जायेंगे।

60. **व्हीलिंग हानियॉ**–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदित स्तर पर वितरण प्रणाली के संचालन से उद्भूत वोल्टेज वार व्हीलिंग हानियों को, वस्तु रूप में वसूलने की अनुमति दी जायेगी। 33 के.व्ही. वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग हानि 6% मान्य होगी।

————————

अध्याय–7
फुटकर प्रदाय व्यापार

61. **प्रयोज्यता**–

ये विनियम किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने उपभोक्ताओं को विद्युत का फुटकर प्रदाय करने हेतु टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

62. **टैरिफ के घटक**:

62.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के फुटकर प्रदाय व्यापार के लिए सकल राजस्व आवश्यकता निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, नामतः

(क) विद्युत क्रय मूल्य;

(ख) पारेषण और राज्य भार प्रेषण केन्द्र–प्रभार;

(ग) संचालन और संधारण व्यय;

(घ) अवमूल्यन;

(ङ) ब्याज और वित्तीय प्रभार;

(च) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;

(छ) समता पर प्रतिफल;

(ज) अवसूलनीय ऋणों हेतु प्रावधान;

(झ) इन विनियमों के अध्याय–6 के अधीन यथा निर्धारित वितरण व्हीलिंग व्यापार हेतु सकल राजस्व; आवश्यकता

<u>घटाएं</u>:

(ञ) गैर टैरिफ आय;

(ट) मुक्त उपयोग/व्हीलिंग प्रभारों से राजस्व;

(ठ) अतिरिक्त विद्युत के विक्रय (फुटकर उपभोक्ताओं के अलावा) से राजस्व।

परन्तु, क्रॉस–सब्सिडी प्रभार के खाते में राजस्व की प्राप्ति को केवल अंकेक्षित/अनअंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर किये जाने वाले वास्तविकीकरण के समय ही विचार में लिया जायेगा।

62.2 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा फुटकर प्रदाय हेतु टैरिफ का निर्धारण आयोग द्वारा यथास्थिति पृथककृत लेखों या आबंटन मैट्रिक्स के आधार पर इन विनियमों के विनियम 54 के अनुसरण में किया जायेगा।

63. **पूंजी निवेश योजना**–

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के अध्याय–2 में विनिर्दिष्ट रीति से पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत की जायेगी।

64. **लागत पूंजी**–

लागत पूंजी की अनुमति, इन विनियमों के अध्याय–3 में उपबंधित किये अनुसार दी जायेगी।

65. **विक्रय–पूर्व अनुमान**:

65.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अपने प्रदाय क्षेत्र की समस्त उपभोक्ता श्रेणियों के लिए एक साथ, प्रतिबंधित मॉग (मेगावॉट में) और अप्रतिबंधित

मॉग (मेगावॉट में) और विक्रय का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जायेगा। विद्युत के श्रेणीवार विक्रय के पूर्वानुमान सामान्य मूल्यांकन और सी.ए.जी.आर. अथवा अन्य किसी परिपक्व विधि के आधार पर तैयार किये जायेंगे।

65.2 बिना मीटर उपभोक्ता श्रेणियों के लिए, यदि कोई, हों विक्रय पूर्वानुमान आयोग की सतर्क जॉच/प्राक्कलन के अधीन रहेंगे।

65.3 आयोग द्वारा पूर्वानुमानों की युक्तियुक्तता का परीक्षण उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, उपभोग के प्रतिमान, पूर्ववर्ती वर्षो में विद्युत की हानियों और मॉग और आगामी वर्ष में अपेक्षित वृद्धि और ऐसे अन्य कारक जिसे आयोग सुसंगत समझे के आधार पर करेगा और जैसा उपयुक्त समझा जाये वैसे रूपांतरों सहित विक्रय पूर्वानुमान का अनुमोदन करेगा।

66. **सकल राजस्व आवश्यकता की गणना:**

66.1 **समता पर प्रतिफल–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के विनियम 22 में विनिर्दिष्ट अनुसार समता पर प्रतिफल की अनुमति प्रदान की जायेगी।

66.2 **ऋण पूंजी पर ब्याज–**

ऋण पूंजी पर ब्याज की संगणना इन विनियमों के विनियम 23 के अनुसरण में की जायेगी।

66.3 **अवमूल्यन–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आस्तियों के अवमूल्यन की संगणना, इन विनियमों के विनियम 24 में विहित रीति से की जायेगी।

66.4 **विद्युत उत्पादन/विद्युत क्रय की लागत:**

66.4.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन केन्द्रों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ता, केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों, केप्टिव उत्पादन संयंत्रों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और अन्यों से प्राप्त विद्युत सहित समस्त स्रोतों से प्राप्त विद्युत के मूल्य को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा यथा अनुमोदित वसूल करने की अनुमति दी जायेगी।

66.4.2 अनुमोदित फुटकर विक्रय स्तर को पारेषण एवं वितरण हानि के मानक स्तर जैसा कि अनुमोदित हानि प्रक्षेपवक्र में दिया गया हो, द्वारा वर्धित (ग्रास्ड अप) किया जायेगा, जिससे फुटकर उपभोक्ताओं को विक्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा ज्ञात की जा सके। आगे यह भी कि ग्रिड से कम ली गई/आधिक्य में ली गई

विद्युत के विक्रय से अनुमानित राजस्व, यदि कोई हो, को सकल राजस्व आवश्यकता में शुद्ध विद्युत क्रय लागत के पूर्वानुमान हेतु सकल विद्युत क्रय में से घटा दी जायेगी।

66.4.3 परन्तु यह और भी कि वास्तविकीकरण के समय यू.आई. ऊपरी निकासी/अधो निकासी को विद्युत क्रय मूल्य निकालने के लिए विचार में लिया जाएगा और अतिरिक्त विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व को पृथक से लेखों में लिया जाएगा ।

66.4.4 दीर्घ अवधि स्रोतों से विद्युत क्रय में त्रैमासिक वृद्धि आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से ली गई याचिका क्रमांक 26/2012, समय–समय पर यथासंशोधित/रूपांतरित, पर अपने आदेश में वर्णित परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रणाली के अनुसार होगी ।

66.5 **पारेषण प्रभार और राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार** :

66.5.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली तक पहुंच और उसके उपयोग हेतु भुगतान योग्य पारेषण प्रभारों को वसूलने की अनुमति इन विनियमों के अध्याय–5 के अधीन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित टैरिफ के अनुसरण में दी जाएगी।

66.5.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदित स्तर तक (इन) व्ययों को वसूल करने की अनुमति भी रहेगी :

(क) हस्तक्षेपीय (इंटरवीनिंग) पारेषण सुविधाओं हेतु प्रभार;

(ख) अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) की वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु व्हीलिंग प्रभार;

(ग) केंद्रीय़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसरण में अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली तक पहुंच और उसके उपयोग हेतु प्रभार;

(घ) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सम्यक् आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भुगतान योग्य शुल्क और प्रभार ।

66.6 **संचालन और संधारण व्यय** :

फुटकर प्रदाय व्यापार हेतु संचालन और संधारण व्यय इन विनियमों के विनियम 57.4 के अनुसरण में अनुमत किए जाएंगे ।

66.7 **कार्यशील पूंजी पर ब्याज** :

कार्यशील पूंजी पर ब्याज, इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसरण में अनुमत किए जाएंगे ।

66.8 **अवसूलनीय और शंकास्पद ऋण** :

इस हेतु फुटकर प्रदाय व्यापार का अधिकतम 1 प्रतिशत प्रावधान अनुमत किया जाएगा। यह नियंत्रण अवधि के अंत में सकल आधार पर वास्तविकीकरण के अधीन और आयोग द्वारा की गई सतर्क जांच के अधीन रहेगा ।

67. **गैर टैरिफ आय–**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार से आनुशांगिक कोई आय, जिनमें अग्रांकित सम्मिलित हैं, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे स्रोतों से– जिसमें आस्तियों का निपटारा, निवेशों से आय, किराये, अनुपयोगी सामग्री के विक्रय से आय, विज्ञापनों से आय, प्रदायकर्ताओं/संविदाकर्ताओं के अग्रिमों पर ब्याज, समानांतर संचालन, और अन्य कोई विविध प्राप्तियॉ, जिनमें विद्युत के विक्रय से प्राप्त आय छोड़कर सम्मिलित हैं, से गैर टैरिफ आय निर्मित होगी ।

68. **क्रॉस सबसिडी अधिभार के पेटे प्राप्तियां** :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रॉस सबसिडी अधिभार के रूप में प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम, 2011 के अनुसरण में आयोग द्वारा यथाअनुमोदित, समय–समय पर यथाप्रयोज्य और यथासंशोधित, को वास्तविकीकरण के समय ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सकल राजस्व आवश्यकताओं में से टैरिफ की गणना करने में काट लिया जाएगा ।

69. **33 के.व्ही. और नीचे की प्रणाली में विद्युत क्षतियां** :

69.1 33 के.व्ही. और नीचे के वोल्टेज स्तर हेतु विद्युत क्षति का मूल्यांकन राज्य ग्रिड संहिता, 2011 के खण्ड 4.2.5 और 8.4.3 को विचार में लेते हुए किया जाएगा। 33 के.व्ही. वोल्टेज स्तर पर डाली गई विद्युत और इसके समस्त उपभोक्ताओं (फुटकर और मुक्त उपयोग) को विक्रय की गई विद्युत, 33 के.व्ही. और नीचे के वोल्टेज स्तर पर, 33 के.व्ही. और नीचे की प्रणाली हेतु ऊर्जा क्षति होगी । वास्तविकीकरण के समय लाभ/हानि के लिए इसी को विचार में लिया जाएगा ।

69.2 विक्रय की गई विद्युत, मीटरीकृत विक्रय और गैर मीटरीकृत विक्रय के मूल्यांकन, यदि कोई हो, आयोग की सतर्क जांच पर आधारित होगी ।

69.3 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु 33 के.व्ही. और नीचे की प्रणाली के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम के लिए हानि प्रक्षेपवक्र निम्नानुसार होगा :

वित्तीय वर्ष 2013–14 – 29%

वित्तीय वर्ष 2014–15 – 28%

वित्तीय वर्ष 2015–16 – 27%

अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए ऐसा प्रक्षेपवक्र संबंधित टैरिफ आदेश में दिया जायेगा।

————————

अध्याय–8

जानकारी की प्रस्तुति एवं टैरिफ और अन्य प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना

70 टैरिफ और अन्य प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की गणना को दाखिल करना (फाइलिंग) :

70.1 प्रत्येक उपक्रम, जो धारा–62 के अधीन आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण का विकल्प देता है, उसे विहित प्रक्रिया अनुसार विहित प्रपत्रों में टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व दाखिल करना आवश्यक होगा।

70.2 यदि अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, टैरिफ या प्रभारों के पुनर्रीक्षण के माध्यम से ऐसे अंतर या अंतर के भाग को पूरा करने की इच्छुक है, तो उसे आयोग के समक्ष सम्यक् याचिका इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करनी होगी कि टैरिफ या प्रभारों को आने वाले वित्तीय वर्ष में प्रयोज्य किया जाए।

71. **टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व–प्रक्रिया** :

पूर्ववर्ती अवधि के अंकेक्षित आंकड़ों के अभाव में उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी परावधिक लेखों (प्रोव्हिजनल एकाउंट्स) के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे प्रकरण में वह, स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियों के साथ सम्यक् वार्षिक संशोधनों का समावेश करने के बाद कम्प्यूटरीकृत बिलिंग/वित्तीय लेखांकन प्रणाली (ऐसी प्रणाली के उपलब्ध होने पर) के सत्यापित और पुष्टि किए गए आंकड़ों का उपयोग करेगा ।

72. **टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के दाखिले (फाइलिंग) हेतु प्ररूप** :

अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व को आयोग के समक्ष, आयोग द्वारा विहित सम्यक् प्रपत्रों में, दाखिल करेंगे।

73. **शुल्क, जानकारी का प्रदर्शन और आंकड़ों का सत्यापन** :

73.1 **आवेदन शुल्क** :

प्रचलित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क और प्रभार) विनियम में किसी बात के होते हुए भी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के अधीन जानकारी प्रस्तुत करते समय आयोग को किसी शुल्क का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा ।

73.2 **जानकारी का प्रदर्शन** :

उत्पादन कंपनियों या अनुज्ञप्तिधारियों से प्ररूपों में प्राप्त जानकारी आयोग/उत्पादक/अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी ।

73.3 **परस्पर जांच और पुष्टि** :

आयोग के पास टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व की गणना के भाग के रूप में, किसी भी समय, जैसा आयोग आवश्यक समझे, अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी से उपलब्ध कराई गई जानकारी की परस्पर जांच और सत्यता की पुष्टि का अधिकार रहेगा। आंकड़ों के सत्यापन और अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा व्यक्त मान्यताओं के परीक्षण हेतु आयोग कोई परामर्शदाता भी नियुक्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी को इस संबंध में जब भी आयोग द्वारा वांछित हो ऐसी जानकारी तक पहुंच उपलब्ध करानी होगी ।

————————

अध्याय–9
प्रकीर्ण

74. **संचालन के मानदंडों का उच्चतम सीमाकारक होना** :

इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संचालन के मानदंड उच्चतम सीमाकारक मानदंड हैं और वे यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी और हितग्राहियों और दीर्घावधि पारेषण ग्राहकों को संचालन के सुधरे हुए मानदंडों को अंगीकार करने/व्यवहार में लेने से विरत नहीं करते ।

75. **मानदंडों से विचलन** :

यथास्थिति, उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत के विक्रय या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण प्रभारों हेतु दरों का निर्धारण निम्नलिखित दशाओं में, इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के विचलन में भी किया जा सकता है :

(क) मानदंडों (नार्मस्) के विचलन (डेव्हिएशन) के आधार पर परियोजना के उपयोगी जीवनकाल (यूजफूल लाईफ) में स्तरीकृत (लेविलाईज्ड) टैरिफ, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर परिगणित स्तरीकृत टैरिफ (केल्कुलेटेड लेविलाईज्ड टैरिफ) से अधिक नहीं हो रहे हैं; और

(ख) कोई भी विचलन आयोग के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा, जिसके लिए यथास्थिति उत्पादन कंपनी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन किया जाएगा।

उदाहरण : विनियम 75 के उपखंड (क) में संदर्भित स्तरीकृत टैरिफ की गणना के उद्देश्य से छूटकारक (डिस्काउंटिंग फैक्टर) समय–समय पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

76. **आवेदन शुल्क और प्रकाशन व्यय** :

आवेदन दाखिल करने का शुल्क और टैरिफ के अनुमोदन हेतु आवेदन में सूचनाओं के प्रकाशन पर होने वाले व्यय, यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी / राज्य पारेषण उपक्रम या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीधे यथास्थिति, हितग्राहियों या पारेषण ग्राहकों से यथास्थिति वसूल करने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

77. **छूट देने की शक्ति** :

आयोग स्वप्रेरणा या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष किए गए किसी आवेदन पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों में छूट प्रदान कर सकेगा ।

78 **व्यावृत्तियां और निरसन (Saving and repeal)** :

78.1 इन विनियमों की कोई बात आयोग को किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन / पुनर्रीक्षण और उसे पारित करने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी, जो पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने हेतु आवश्यक हो ।

78.2 इन विनियमों की कोई बात, आयोग को, इन विनियमों के प्रावधानों से हटकर, परन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, ऐसी प्रक्रिया अपनाने से अवरोधित नहीं करेगी, जिसे आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक अथवा उचित समझे ।

79. **कठिनाइयॉ हटाने की शक्ति** :

इन विनियमों के किसी भी उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो आयोग, अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी आदेश द्वारा और उन्हें, जो ऐसे आदेश से प्रभावित हो सकते हों, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रावधान, जो इन विनियमों या अधिनियम से असंगत न हो, कर सकेगा, जो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक हो ।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन. सिंह)
सचिव

परिशिष्ट –1

अवमूल्यन अनुसूची

क्रमांक	आस्तियां विवरण	अवमूल्यन सूची (अवशेष मूल्य = 10 प्रतिशत) एस. एल.एम.
(1)	(2)	(3)
ए.	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	0.0%
बी.	पट्टे पर ली गई भूमि	
क)	भूमि में निवेश हेतु	3.34%
ख)	स्थल क्लियरिंग की लागत हेतु	3.34%
ग)	जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि	3.34%
सी.	नवीन क्रय की गई आस्तियॉ	
क)	उत्पादन केन्द्रों में संयंत्र और मशीनरी	
(i)	जल विद्युत	5.28%
(ii)	भाप विद्युत एन.एच.आर.बी. एवं वेस्ट हीट रिकवरी ब्यालरस/संयंत्र	5.28%
(iii)	डिजल विद्युत और गैस संयंत्र	5.28%
ख)	कुलिंग टावर्स और जल प्रणालियॉ	5.28%
ग)	जलीय विद्युत प्रणाली, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कार्य का भाग है	5.28%
(i)	बांध, स्पिलवेज वियर्स, नहरें, आर.सी.सी. के फलूम्स और साइफन	5.28%
(ii)	आर.सी.सी. पाईप लाइनें और सर्ज टैंक, स्टील पाइप लाइने, स्लूस गेट, स्टील सर्ज टैंक, हाइड्रोलिक कन्ट्रोल वाल्व व अन्य हाइड्रोंलिक समान	5.28%
डी.	भवन व सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स–जिसमें	
(i)	कार्यालय और शो–रूम	3.34%
(ii)	थर्मो इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन संयंत्र सहित	3.34%
(iii)	हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन संयंत्र सहित	3.34%
(iv)	अन्य	3.34%
ई.	ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मस उपकेन्द्र के उपस्कर (किओस्क) व अन्य स्थिर उपकरण (संयंत्र फाउन्डेशन सहित):–	
(i)	ट्रांसफार्मर्स (फाउन्डेशन सहित) 100 के.व्ही.ए. क्षमता और उसके अधिक के	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
एफ.	केबल कनेक्शन सहित स्विचगेयर,	5.28%
जी.	लाइटनिंग अरेस्टर्स	5.28%
(i)	स्टेशन टाईप	5.28%
(ii)	पोल टाईप	5.28%
(iii)	सिन्क्रोनस कन्डेसर	5.28%
एच.	बैटरियॉ	5.28%
(i)	ज्वाईंट बाक्सेज़ व डिसकनेक्टेड बाक्सेज़ सहित भूमिगत केबल	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%

क्रमांक	आस्तियां विवरण	अवमूल्यन सूची (अवशेष मूल्य = 10 प्रतिशत) एस. एल.एम.
(1)	(2)	(3)
आई	केबल सपोर्ट सहित ओव्हरहेड लाईन	
(i)	66 किलोवोल्ट से उच्चतर नामिनल वोल्टेज पर फेब्रिकेटेड इस्पात पर डाली गई लाईन	5.28%
(ii)	13.2 किलोवोल्ट से उच्चतर परन्तु 66 किलोवोल्ट से अधिक नहीं की नामिनल वोल्टेज पर इस्पात सपोर्ट पर डाली गई लाईन	5.28%
(iii)	इस्पात अथवा प्रबलित कांक्रीट पोल पर लाईन	5.28%
(iv)	संसधित लकड़ी के पोल पर लाईन	5.28%
जे.	मीटर्स	5.28%
के.	स्वचालित वाहन	9.50%
एल.	वातानुकूलित संयंत्र	
(i)	स्टेटिक	5.28%
(i)	पोर्टेबल	9.50%
एम.		
(i)	कार्यालयीन फर्नीचर व फिटिंग	6.33%
(ii)	कार्यालय साज समान	6.33%
(iii)	फिटिंग व उपकरण सहित आंतरिक वायरिंग	6.33%
(iv)	सड़क बत्ती फिटिंग	5.28%
एन.	किराये पर दिया गया उपरकण	
(i)	मोटर से भिन्न	9.50%
(ii)	मोटर्स	6.33%
ओ.	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्चतर फ्रिक्वेंसी केरियर प्रणाली	6.33%
(ii)	टेलिफोन लाईन व टेलिफोन	6.33%
पी.	सूचना प्रद्यौगिकीय उपकरण	15.00%
क्यू.	उपर्युक्त से भिन्न कोई अन्य आस्तियां	5.28%

————————